

#### POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Ref No. NR-1/PG/PASTL//Stage-1 Compliance

Date: 12.09.2023

To, The Chief Conservator of Forest, Jaipur, Rajasthan

Subject: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected Forest land for Construction of 765kV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar, and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)" Regarding compliance of Stage-I and issuance of working permission & Stage-II approval.

Reference: F. 14(Trans)2021/FCA/प्रमुक्स

Proposal Number.: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Date of Proposal: 26-07-2021

Diversion Area: 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

Dear Sir,

This is about letter no 08B/RAJ018/2023-JPR for compliance against Stage-I approval of Online Proposal No. - FP/RJ/TRANS/144853/2021 for diversion of 15.8321Ha. under 765kV D/C Sikar-II - Aligarh Transmission line, in Rajasthan portion from AP-01 to AP-183, the common point of Rajasthan-Haryana state boundary (passing through three districts Alwar, Jaipur and Sikar) under the Transmission Scheme for evacuation of power from Solar Energy Zones in Rajasthan (8.1GW) under phase- II part-D, which shall benefit various States in the Northern Region including Rajasthan.

Our pointwise compliances against the conditions that need to be complied with prior to

handing over of forest land by the State Forest Department are stated below:

SI. No.	Condition	Compliance .	
wage rates as per the compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation, and erection of permanent pillars, if required on the CA land, shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increases for works scheduled for subsequent years.  2 The State Government shall charge the Net Present Value		The cost of compensatory afforestation has been deposited vide UTR No. SBIN123241577797, dated -29.08.2023 - to RAJASTHAN CAMPA Fund on dated and same is showing as PAID status on the Parivesh portal Payment proof is attached in Annexure – A(i)	
2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.8321ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2088 and 9/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 3/10/2006 and 5-3/2007-FC dated	NPV has been deposited vide UTR No. SBIN123241577797, dated -29.08.2023 - to RAJASTHAN CAMPA fund.	



#### POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

	5/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in the regard.	
3	The additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The user Agency shall furnish an undertaking to this effect.	We shall deposit the same as and when demand is raised towards the same. The undertaking to this effect is hereby submitted.  The undertaking is attached in Annexure- A (ii)
4	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of a prescribed certificate from the concerned District Collector.	The FRA certificate issued by the District Magistrate; Sikar, Jaipur & Alwar is attached as Annexure- A(iii)
5	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting a compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.	The required KML files of diverted land and CA areas have been submitted with all requisite details.
6	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to the CAMPA fund only through the e-portal.	All the funds as per the demand notes raised have been deposited through the e-portal to RAJASTHAN CAMPA vide UTR No. SBIN123241577797, dated -29.08:2023.

B. Conditions that need to be strictly complied with on the field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of the undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:

S. No.	omitted prior to Final/Stage-II approval:  Condition	We undertake that the legal status of forest land shall remain unchanged Undertaking to this effect is attached at Annexure B (i).	
1	The legal status of forest land shall remain unchanged.		
2	Forest land will be handed over to the User Agency only after the required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.	CA land has already been identified and is available with the Forest Department.  Annexure B (ii)	
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.	Compliance is related to the forest department.  Annexure B (iii)	
4	User agency shall restrict the felling of trees to 1917 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	We hereby confirm that the felling of trees shall be minimized and shall not be in any case more than 1917(Alwar-49, Jaipur-1853, Sikar-15). The cost of the felling of trees shall be deposited.	



#### POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

		The undertaking is attached in Annexure-B(iv)	
5	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	We confirm that no flora and fauna of the adjoining area shall be damaged during the work. An undertaking to this effect is attached at Annexure-B(v).	
6	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	An undertaking to this effect is attached at Annexure-B(vi).	
7	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(vii).	
8	No Labor camp shall be established on the Forest Land.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(viii).	
9 Sufficient Firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the laborer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of the alternate fuel.  Undertaking to this effective Annexure B(ix).		Undertaking to this effect is attached at Annexure B(ix).	
10	The boundary of the diverted Forest land shall be suitably demarcated on the ground at the Project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(x).	
11	No additional or new path will be constructed inside the Forest area for the transportation of construction materials for execution of the project work.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xi).	
12	The Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xii).	
13	The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Government of India.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xiii).	
14	The User Agency shall submit the annual self- compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by end of March every year.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xiv).	
15	The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts. Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any. For the time being in force, as applicable to the project.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xv).	
16	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF& CC Guideline F.No.11-42/2017 –FC dt.29/01/2018.	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xvi).	
17	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection, and development of Forests & Wildlife	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xvii).	



#### POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

18	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Undertaking to this effect is attached at Annexure B(xviii).
Speci	fic Conditions: -	
1	The Penal NPV shall be paid by the User Agency for violation in 0.15 ha as per Para 1.21(ii) and REC feels that the penal NPV levied in this case to be equal to NPV.	The Penal NPV has been deposited vide UTR No. SBIN123241577797, dated -29.08.2023 - to RAJASTHAN CAMPA fund.
2	State Govt, will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.	In this regard, a notice has been given by the State Forest Department (DFO, Alwar) to the User Agency. (Attached as the Annexure X.)
3	User Agency responsible for violation shall be prosecuted under the provision of the Forest (Conservation) Act, 1980.	The Reply for the same has been furnished to the State Forest
4	Before grant of working permission State Govt. shall take disciplinary and legal action in the matter under section-3A and 3B of the FCA,1980.	Department by the User Agency requesting for the waive of the charges. (Attached as the Annexure Y.)

It is further to intimate that the principle approval has been published in two daily newspapers (Hindi & English) (copy attached). Since, this project is of a linear nature, it is requested to kindly process for grant of working permission and Stage-II so that the balance of construction work in forest areas can be taken up.

Enclosures: - As above as per the list

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary
मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
पावरग्रिङ अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि॰
(100% Subsidiary of POWERGRID)
अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan

Page 04 of (04)

	NEFT	37 -NEFT INB: 469715	57044307 CORPC
TOTRANSEER	STOCK HOLDING CORPORATION OF	INB NEFT UTR NO: SBIN123241578	CNACPTEHQ4 TRANSFER TO 4697
29	Aug-23	(29-	Z023)

IB: CNACPTEHO4 TRANSFER TO 7044307 / STOCK HOLDING RATIONOFINDIA

99922

39,000,00

3,59,72,628,46

NEFT INB: CNACPTGCJZ TRANSFER TO

3199301044303 / Rajasthan Campa

INB NEFT UTR NO: SBIN123241577797 -NEFT INB:

Rajasthan Campe TOTRANSFER

Aug-23

(29-

CNACPTGCJ2 TRANSFER TO 3199301044303

2023)

Aug-

8,35,451.19

NEFT INB: CNACPTEHQ3 TRANSFER TO

4697155044309 / STOCK HOLDING

CORPORATION OF INDIA

INB NEFT UTR NO: SBIN123241577802 -NEFT INB:

STOCK HOLDING CORPORATION OF INDIA

TO TRANSFER

Aug-23

-62)

CNACPTEHQ3 TRANSFER TO 4697155044309

2023)

Aug-

40,500.00

7,94,951.19

कचन कुमार चौधरी पावरप्रिड, अलवर मुख्य महाप्रबंधक

\*\*This is a computer generated statement and does not require a signature.



#### **NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

Date: 25-08-2023

Agency Name.	SIKAR -II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED)
Application No.	64144853232
MoEF/SG File No.	8B/RAJ018/2023-JPR
Location.	RAJASTHAN
Address.	PLOT NO-339 , SHANTI KUNJ SCHEME, ALWAR (RAJASTHAN)Alwar
Amount(in Rs)	35137177.27/-

**Amount in Words**: Three Crore Fifty-One Lakh Thirty-Seven Thousand One Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

### NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508564144853232 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only





#### **NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

Date: 25-08-2023

Agency Name.	SIKAR -II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED)
Application No.	64144853232
MoEF/SG File No.	8B/RAJ018/2023-JPR
Location.	RAJASTHAN
Address:	PLOT NO-339 , SHANTI KUNJ SCHEME, ALWAR (RAJASTHAN) Alwar
Amount(in Rs)	35137177.27/-

Amount in Words :Three Crore Fifty-One Lakh Thirty-Seven Thousand One Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

### NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508564144853232 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

कंचन कुमार बोधरी/K. K. Chaudhary जुड्य मस प्रयंघक / Chief GeneralManager पाचर ग्रिंड जलीगढ़ शीकर ट्रांसमिशन लिं० Power Grid Aliganh Siker Transmission Ltd.

# P

#### राजस्थान सरकार वन विभाग

### कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरावफुले सर्किल, नयाबास, अलवर (राज0) – 301001



विनांक : 22/08/22

क्रमांक 302 प

### गणक पत्र

Proposal No.: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Construction of 765 KV D/C Sikar-II-Aligarh transmission line District-Sikar, Jaipur & Alwar (Raj.) in Rajasthan portion AP-01 to AP-180 common point Rajasthan state Boundary. Total route lenth 174.350 km की प्रथम स्वीकृति उप वन महानिरीक्षक, (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्रांक 8बी/राज.018/2023—जेपीआर दिनांक 10. 08.2023 से जारी हो चुकी है। प्रथम स्वीकृति की पालना हेतु भारत सरकार के उक्त पत्रांक के निर्देशानुसार यूजर एजेंसी से नियमानुसार राशि वसूल की जानी है।

क्र.सं.	शर्त	गणना	कुल राशि
1	शर्त (ए) संख्या 01के अनुसार क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु वसूल की जाने वाली राशि	NA 100 2000	31,08,875/-
2	शर्त (ए) संख्या 02 के अनुसार प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र 04.3215 है0 की शुद्ध वर्तमान मूल्य राशि	04.3215ਵੈo X Rs.9,57,780/-	41,39,046.27/-
3	विशेष शर्त (1) के अनुसार कार्यकारी एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के कारण 0.15 है0 क्षेत्र की एन.पी.वी के रूप में वसूल की जाने वाली राशि (143667 का 20 प्रतिशत)		28,733/-
	शर्त (बी) संख्या 04 के अनुसार वन भूमि पर स्थल 49 पेडों के (यूजर एजेंसी के खर्चे पर) पातन हेतु राशि		20,000/-
5	Special Condition : Transmission Line के नीचे प्रत्यावर्तन प्रस्तावित क्षेत्र प <b>र छोटी</b> Height के औषधीय पौधों का वृक्षारोपण <b>से संबं</b> धित राशि		29,46,727/-
		Total	Rs. 1,02,43,381.27/-

सैद्धान्तिक स्वीकुति अनुसार राशि 31,08,875/- + 41,39,046.27/- + 28,733/- + 29,46,727/- = Rs. 1,02,23,381.27/- रूपये कैम्पा फण्ड खाता संख्या 520101263743681 यूनियन बैंक सी.जे.ओए कॉम्पलेक्स नई दिल्ली में जमा कराकर प्राप्ती रसीद इस कार्यलय को भिजवायें एवं प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र में स्थित वनस्पति के Rs. 20,000/- रूपये का डी.डी उप वन संरक्षक, अलवर के नाम भिजवायें।

(ए० के० श्रीवास्तव) उप वन सरंक्षक अलवर



#### राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com)
क्रमांक :एफ ( )एफसीए / उवसंसी / 2023-24 / 🖇 구 😂 दिनांक: २२,४-२३

वरिष्ठ महाप्रबंधक,

सीकर-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लिमिटेड,

अलवर, राजस्थान।

विषय:— CONSTRUCTION OF 765 KV D/C SIKAR-II- ALIGARH TRANSMISSION LINE, DISTRICT-SIKAR, JAIPUR & ALWAR (RAJASTHAN) IN RAJASTHAN PORTION AP-01 TO AP-180 COMMON POINT RAJASTHAN STATE BOUNDARY. TOTAL ROUTE LENGTH 180.946 KM.

(Online Proposal No.- FP/RJ/TRANS/144853/2021)

संदर्भः-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर का पत्रांक 8बी/राज018/2023-जेपीआर दिनांक 10.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जयपुर का पत्रांक 8बी/राज018/2023—जेपीआर दिनांक 10.08.2023 द्वारा 15.8321 Ha. (Sikar-0.2278 Ha.) वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति 1917 वृक्षों के पातन सहित प्रदान की गई है। अतः भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना कर पालना रिपोर्ट निम्नानुसार अविलम्ब भिजवावें :—

- 1. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या A(1) की पालना में 1.00 है0 वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि 3,36,000 /-(In Words Three Lakh Thirty six thousand rupees only) एवं ट्रांसिमशन लाईन के नीचे बौने / औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि 1,48,986 /-(In Words One Lakh Fourty Eight thousand Nine hundred Eighty Six rupees only) वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई—चालान द्वारा जमा करावे।
- 2. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या A(2) की पालना में एनपीवी राशि 0.2278 ha. x 9.5778 lac per ha. = 2,18,182 /-(In Words Two Lakh Eighteen thousand one hundred eighty two rupees only) राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई—चालान द्वारा जमा करावे।

3. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या A(4) की पालना में जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र एवं सम्पर्ण बैठक कार्यवाही विवरण पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

4. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या B(4)की पालना में वन भूमि पर खड़े 11 वृक्षों की कीमत राशि रूपये 28,104 /-(In Words Twenty Eight Thousand One hundred Four rupees only) राशि जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट उप वन संरक्षक, सीकर के नाम से जमा करावे तथा पातन की जाने वाली वन सम्पदा का परिवहन यूजर एजेंसी स्वयं के खर्चे से कर नजदीकी वन चौकी/रेंज/भंडार कार्यालय में पहुंचायेगी।



इसके अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक—एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्रों की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या A(1) एवं A(2) की पालना में कुल राशि = 7,03,168/-(In Words Seven Lakh Three Thousand One hundred Sixty Eight rupees only) कैम्पा फण्ड में जिरये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई—चालान एवं शर्त संख्या B(4) की पालना में 28,104 /-(In Words Twenty Eight Thousand One hundred Four rupees only) रूपये जिरये डी.डी उप वन संरक्षक, सीकर के नाम से जमा करावें।

अतः शर्त संख्या A(3, 6), B (1 से 18 तक) में उल्लेखित बिन्दुओं के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 10.08.2023 (प्रति संलग्न) में अधिरोपित शर्तों की पालना रिपोर्ट मय अंडरटेंकिंग 05 प्रतियों एवं शर्त संख्या A(1) एवं A(2) की पालना में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई—चालान द्वारा ऑनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या के साथ उपलब्ध करावें ताकि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सकें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां) उप वन संरक्षक,

सीकर दिनांक:- ३२.४. २ ऽ

क्रमांक एफ सम / ८२ ५० - ५3 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज, जयपुर।

2. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।

3. सहायक वन संरक्षक, सीकर/क्षेत्रीय वन अधिकारी, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैरवानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं हो, यह सुनिश्चित करें।

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां) उप वन संरक्षक, सीकर

### भौमें 🌣 कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) •

पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016 e-mail defjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165 क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2023-24/ 8857 दिनांक 18/8/2023

> वरि0 महाप्रबंधक, सीकर 11 अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इंडिया प्लाट नं.—339, शांति कुँज स्कीम, अलवर, राजस्थान।

प्रस्ताव "Diversion of 15.8321 ha of Protected Forest land for construction of 765KV D/C Sikar-II – Aligarh Transmission line, in Rajasthan Portion Ap-01 to Ap-183 Common Point – Rajasthan- Haryana State Boundary. Total Route Length 180.946 km in Distret-Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in favour of SIKAR-II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PGCIL), Alwar, Rajsthan & Proposal No. FP/RJ/TRANS/144853/2021 के कम में।

सन्दर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर (उप क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर) के पत्र संख्या—8बी—राज 018/2023—JPR दिनांक 10 अगस्त, 2023 (संलग्न) एवं कार्यालय प्रमुवसं (वन बल प्रमुख) राजस्थान के पत्र कमांक 7113—16 दिनांक 11. 08.2023 (संलग्न) के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रस्ताव "Diversion of 15.8321 ha of Protected Forest land for construction of 765KV D/C Sikar-II – Aligarh Transmission line, in Rajasthan Portion Ap-01 to Ap-183 Common Point – Rajasthan- Haryana State Boundary. Total Route Length 180.946 km in Distrct-Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in favour of SIKAR-II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PGCIL), Alwar, Rajsthan & Proposal No. FP/RJ/TRANS/144853/2021" में 15.8321 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गयी थी। जिसके कम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर (उप क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर) के पत्र संख्या–8बी–राज 018/2023–JPR दिनांक 10 अगस्त, 2023 के द्वारा उक्त प्रकरण में 15.8321 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 1917 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गई है:—

## A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

- 1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
- 2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.8321ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2088 and 9/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 3/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 5/02/2009 and

- 3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The user Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- 4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
- 5. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the
- 6. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in from of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:

- 1. Legal status of forest land shall remain unchanged.
- 2. Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.
- 3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided. Details of compensatory afforestation

1 Alwar Behrod Khapariya 01 2 Jaipur Kotputli Buchera 07	Sr. No.	District	Tehsil	Village	Survey/Comptt.	Area
3 Sikar Double Buchera 07	1		Behrod		No.	(ha)
	2				THE PERSON NAMED IN	17.00
Dantaramgarh Palsana 2293	3	Sikar	Dantaramgarh	Palsana	The second secon	32.50
					Total	50.50

- 4. User agency shall restrict the felling of trees to 1917 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with
- 5. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
- 6. User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the
- 7. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central
- 8. No labour camp shall be established on the forest land.

- 9. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
- 10. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- 11. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 12. The forest land shall not be used for any purpose other than this specified in the project proposal.
- 13. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 14. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office. Jaipur by the end of March every year.
- 15. The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
- 16. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11 42/2017-FC di 29/01/2018.
- 17. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- 18. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

#### **Specific Conditions:**

- 1. The Penal NPV shall be paid by the User Agency for violation in 0.15 ha as per Para 1.21(ii) and REC feels that the penal NPV levied in this case to be equal to NPV.
- State Govt. will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.
- User Agency responsible for violation shall be prosecuted under the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980.
- 4. Before grant of working permission State Govt. shall take disciplinary and legal action in the matter under Section-3A and 3B of the FCA,1980

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for Final/Stage-II approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to IRO, Jaipur. Transfer of forest land shall not be effected till Final/Stage-II approval is granted by the Central Government in this regard.

Further, it may also be noted that this In-principle / Stage-I approval shall be valid for a period of 5 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after five (05) years.

अतः उक्तानुसार दी गयी शर्तों की पूर्ति करते हुये निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी एन.पी.वी. की राशि, क्षितिपूर्ति वृक्षारोपण (CA DFL) एवं 10 वर्षों तक रखरखाव की राशि एवं औषधिय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव की राशि कमशः (1,08,06,440.00 + 60,25,000.00 + 73,79,188.00) = 2,42,10,628.00/— अक्षरे दो करोड बयालीस लाख दस हजार छः सो अठ्ठाईस रूपये मात्र "प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण" के तदर्थ निकाय के वेबपॉर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई—चालन द्वारा जमा कराने के उपरान्त ई—चालान की छाया प्रति जमा की गई धन राशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सिहत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाये। तािक आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

			Total	2,42,10,628.00
	एवं 10 वर्षो तक रखरखाव		ar in the second	
3	औषधिय पौधों का वृक्षारोपण (Medicinal Plantation)	<u> </u>	-	73,79,188.
2	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA DFL) एवं 10 वर्षो तक रखरखाव		A Partidon Co	60,25,000.00
2		11.2828	9,57,780.00	1,08,06,440.00
क.सं. 1	राशि लिये जाने का विवरण एन.पी.वी.	प्रत्यावर्तित वन भूमि (है०)	एन.पी.वी. की दर (रूपये)	राशि (रूपये)

इसके अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012—एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 7.11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ मिजवाये। तथा आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती हैं, तब तक प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं किया जावें। संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2023-24/8858-59 प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है - विनांक । १८ ८ २४

1. सहायक वन संरक्षक, कोटपूतली।

2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटपूतली को देकर लेख है कि आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती हैं, तब तक प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जावें।

> उप वन संरक्षक ्रायपुर (उत्तर)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांकः एफ. 14(Trans)2021 / एफसीए / प्रमुवसं /

दिनांक

मुख्य वन संरक्षक, जयपुर

ACA.

विषय:- Diversion of 15.8321 ha. Protected Forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line, District- Sikar, Jaipur & Alwar (Rajasthan)" in Rajasthan Portion Ap-01 to Ap-180 Common Point Rajasthan State Boundary. Total Route Length 180.946 km in District - Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in favour of SIKar-II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PGCIL), Alwar, Rajasthan.

(Proposal No. FP/RJ/Trans/144853/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षैत्रीय कार्यालय, गाँधीनगर का पत्रांक 8बी/राज/018/2023-JPR दिनांक 10.08.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपन्न में संबंधित उप वन संरक्षक एवं यूजर एजेंसी से प्राप्त कर इस कार्योलय में प्रस्तुत करें, ताकि अगिम कार्यवाही की जा सके ।

यहां उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जमा की जाने वाली राशि ई-चालान से ऑनलाइन

जमा करायी जावे।

इसके अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दि. 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्णय दि. 7.11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवाये, साथ ही आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं होने देना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:--उक्तानुसार।

भवदीया.

20

(शिखा मेहरा) अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,

राजस्थान, जयपुर

दिनांक 11- - 8 - २०८3 क्रमांकः एफ. 14(Trans)2021/एफसीए/प्रमुवसं/ 7113-16 प्रतिलिपि निम्नांकित को भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि वांछित पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें...

 उप वन संरक्षक, सीकर / ज्यम्पुर (उत्तर) / अलवर
 वरिष्ठ महाप्रबंधक, सीकर अलीगढ़ ट्रांसिमशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्लाट नम्बर-339, शांति कुँज स्कीम, अलवर, राजस्थान

संलग्न:-उक्तानुसार।

( दिनेश कुमार गुप्ता ) उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए) अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांकः एफ. 14(Trans)2021/एफसीए/प्रमुवसं/

दिनांक

मुख्य वन संरक्षक,

जयपुर

LCH.

विषय:- Diversion of 15.8321 ha. Protected Forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line, District- Sikar, Jaipur & Alwar (Rajasthan)" in Rajasthan Portion Ap-01 to Ap-180 Common Point Rajasthan State Boundary. Total Route Length 180.946 km in District - Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in favour of SIKar-II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PGCIL), Alwar, Rajasthan.

(Proposal No. FP/RJ/Trans/144853/2021)

संदर्भः- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षैत्रीय कार्यालय, गाँधीनगर का पत्रांक 8बी/राज/018/2023-JPR दिनांक 10.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार <u>पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संबंधित</u> उप वन संरक्षक एवं यूजर एजेंसी से प्राप्त कर इस कार्योलय में प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

यहां उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जमा की जाने वाली राशि ई-चालान से ऑनलाइन

जमा करायी जावे।

इसके अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012—एफसी दि. 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्णय दि. 7.11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजव्यये, साथ ही आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं होने देना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः—उक्तानुसार।

भवदीया,

ಒ

(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,

राजस्थान. जयपर

क्रमांकः एफ. 14(Trans)2021/एफसीए/प्रमुवसं/ 71/3-26 दिनांक //- =8-29-3 प्रतिलिपि निम्नांकित को भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि वांछित पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें:-

1. उप वन संरक्षक, सीकर / ज्राम्बुर (उत्तर) / अलवर

2. वरिष्ठ महाप्रबंधक, सीकर-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्लाट नम्बर-339, शांति कुँज स्कीम, अलवर, राजस्थान

संलग्न:--उक्तानुसार।

( दिनेश कुमार गुप्ता ) उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए) अरण्य भवन, जयपुर 1/50578/2023



#### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

#### पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/ Regional Office, Gandhinagar (Sub Regional Office, Jaipur)

ए वींग- 407 एवं 409, "अरण्य भवन ", सी.एच.-3 सर्किल के समीप, सेक्टर-10ए, गांधीनगर-382010 / A wing- 407 & 409, "ARANYA BHAWAN", Near CH-3 Circle, Sector-10A, Gandhi Nagar-382010 Email: iro.gandhingr-mefcc@gov.in

दिनांक: 10<sup>th</sup> अगस्त, 2023

सेवामें, शासन सचिव(वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन, जयपुर, राजस्थान।

(Online Proposal No: FP/RJ/TRANS/144853/2021)
विषय: Diversion of 15.8321 ha of Protected Forest land for construction of 765 KV D/C Sikar-II -Aligarh Transmission line, in Rajasthan Portion Ap-01 to Ap-183 Common Point Rajasthan -Haryana State Boundary. Total Route Length 180.946 km in District- Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in favour of SIKAR -II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PGCIL), Alwar, Rajasthan.

सन्दर्भः शासन सचिव, राजस्थानं का पत्रांकं-प.1ं(25)वन/2023, जयपुर, दिनांक-03.04.2023. महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रकरण के परीक्षणोपरान्त केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु 15.8321 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन एवं 1917 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति (In-principle/Stage-I approval) निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

### A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

2. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.8321 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard.

3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an

Copro 60 10 10712 023

#### 8B/RAJ018/2023-JPR

1/50578/2023

undertaking to this effect.

- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
- 5. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.
- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:

- 1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- Forest land will be handed over to the User Agency only after required nonforest land for the project is handed over to the User Agency.
- 3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided. Details of compensatory afforestation as as below:

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Survey/ Comptt. No.	Area (ha)
1	Alwar	Behrod	Khapariya	01	17.00
2	Alwar	Kotputli	Buchera	07	32.50
3	Sikar	Dantaramgarh	Palsana	2293	1.00
				Total	50.50

- 4. User agency shall restrict the felling of trees to 1917 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
- 5. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 7. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 8. No labour camp shall be established on the forest land.
- Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
- The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- 11. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 12. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 13. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior

1/50578/2023

approval of Govt. of India.

14. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.

15. The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

 Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

17. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

18. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/). **Specific Conditions:** 

- The Penal NPV shall be paid by the User Agency for violation in 0.15 ha as per Para 1.21(ii) and REC feels that the penal NPV levied in this case to be equal to NPV.
- State Govt. will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.

User Agency responsible for violation shall be prosecuted under the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980.

 Before grant of working permission State Govt. shall take disciplinary and legal action in the matter under Section- 3A and 3B of the FCA, 1980.

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for Final/Stage-II approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to IRO, Jaipur. Transfer of forest land shall not be effected till Final/Stage-II approval is granted by the Central Government in this regard.

Further, it may also be noted that this **In-principle** / **Stage-I** approval shall be valid for a period of 5 years from the date of issue of this letter. In the event of noncompliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after **five** (05) years.

(श्रवण कुर्मार वर्मा/Shrawan Kumar Verma) क्षेत्रीय अधिकारी/Regional Officer

भवदीयां Sincerely 33

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar.

प्रतिलिपिः (ई-मेल द्वारा)

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली-110003.

#### 8B/RAJ018/2023-JPR

#### 1/50578/2023

- 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
- 3. उप वन संरक्षक, अलवर, वनमण्डल, अलवर, राजस्थान।
- 4. उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) वनमण्डल, जयपुर, राजस्थान।
- 5. उप वन संरक्षक, सीकर वनमण्डल, सीकर, राजस्थान। 6. विरष्ठ महाप्रबंधक, सीकर- अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (), प्लॉट नं-339, शांति कुंज स्कीम, अलवर, राजस्थान।
- 7. आदेश पत्रावली।



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- A (i)

Full title of the Project: "

Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar, and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

### CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा के अनुपालन का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के तहत राजस्थान के अलवर ,सीकर और जयपुर संभाग में CA स्कीम के अनुसार निर्धारित प्रतिपूर्ति वनीकरण की राशि CAMPA Fund में UTR No. SBIN123241577797, Dated -29.08.2023 के द्वारा जमा करा दी गई है ।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कचन कुमार चौधरी anchan Kumar Choudhar

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarah New Jem/Orio General Manager Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd. पावरग्रिङ अलीगढ़ सीकर संस्थित

(100 hsidian

ERC



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- A (ii)

Full title of the Project:" Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of

765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

### अतिरिक्त N.P.V की धनराशि जमा कराने का वचन पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 के.वी. डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के तहत भविष्य में विशेषज्ञ सिमित से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद डायवर्टेड वन भूमि की एनपीवी की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी से वसूल की जाएगी। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय के लिए धन राशि को जमा करने के लिए वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, Hew Dalbi-110016

Kanchan Kumar Choudhary मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd. पावरग्रिङ अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि० (100% Subsidiary of POWERCE(D))

ar, Rai

RA-ALWAR

#### Annexure-1

#### FORM-1

### OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR ALWAR, RAJASTHAN

(for linear projects)

No. F 12-1/FRA/REV/2022/7656

Date.06 / 10/2022

### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forests (MoEF), Government of India's letter no.11-9/98/fc(pt.) Dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects.

Sub Division Officer, Tijara given by letter no.pa/fra/2022/ 478 dated 18.07.2022 by 4.1674 hectares village Nimli and 0.1541 hectares village Gothra tehsil Tijara

total area 4.3215 hectares. FRA certificate is being measured to use forest land.

it is certified that 4.1674 hectares village Nimli and 0.1541 hectares village Gothra tehsil Tijara total area 4.3215 hectares forest blocks in Alwar district is proposed to be diverted in favor of the Powergrid Aligarh Sikar Transmission Limited, Alwar for construction of 765 KV D/C Sikar-Aligarh Transmission line District-Sikar, Jaipur & Alwar (Rajasthan) in Rajasthan portion AP-01-to-AP-180 common point Rajasthan state boundary total route lenght 174.350 km (Proposal number FP/RJ/TRANS/144853/2021) in the state of Rajathan.

It is certified that:-

- A. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.1674 hectares village Nimli and 0.1541 hectares village Gothra tehsil Tijara total area 4.3215 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Right Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the district level committee are enclosed as annexure - i to Annexure - iii.
- B. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given
- C. The proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and preagricultural communities.

Encl: as above

(Dr. Jitendra Kumar Soni) District Collector, Alwar

Verter-3(A) (Autosaved) (Autosaved) 1 06-10-2022.Docx - 821 -E:\Revenue\_Office\_Work\Letter\_Order\_Office (F) E-Mail ID:- revenuealwar@gmail.com Contact No. 0144-23

मुमिकिन पहाड में से. रकबा 4.1674 हेक्टेयर कुल रकबा 4.3215 हेक्टेयर वन मूमि के डायवर्जन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मुमिकेन पहाड में से एकबा 0.1541 हेक्टेयर व ग्राम निमली तहसील तिजारा के आ०ख०न० 287 रकबा 233.8800हेक्टेयर किस्म गैर क्षेत्रफल 4.3215 हेक्टेयर वन भूमि में से तहसील होत्र ग्राम गोठडा तहसील तिजारा के आ०ख०न० 779 रकवा 6.7300 हेक्टेयर किस्म गैर जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.10.2022 का कार्यवृत्ता (Rajasthan) in Rajasthan portion AP-180 Cominon point Rajasthan State Boundary Total Route Lenght 174.350 Km 市 CONSTRICTION OF 765 KV D/C Sikar-11 Aligarh Transmission line District-Sikar, Jaipur &Alvi

डायवर्जन प्रस्तावित हैं। उक्त भूमि में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के दावों के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड स्तरीय जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.10.2022 को आहूत हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया। ग्राम निमली तहसील तिजारा के आ०ख०न० 287 रकबा 233.8800हेक्टेग्रूर में से रकबा 4.1674 हेक्टेयर कुब्रू रकबा 4.3215 हेक्टेयर वन मूमि का Rajasthan portion AP-180 Common point Rajasthan State Boundary Total Route Lenght 174.350 Km हेतु वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरप्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, अलवर द्वारा तहसील तिजारा के ग्राम गोठडा के आठख॰न॰ की 779 रकबा 6.7300 हेक्टेयर मे से रकबा 0.1541 व CONSTRICTION OF 765 KV D/C Sikar- 11 Aligarh Transmission line District-Sikar, Jaipur & Alwar (Rajasthan) in

- जिला कलक्टर, अलक्र
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,अलवर
- उप वन संरक्षक, अलवर।
- उपखण्ड अधिकारी, तिजारा।
- सहायक निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग,अलवर
- वरिष्ठ महाप्रबन्धक, पावरप्रिङ अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, अलवर

पर कोई आपित प्राप्त न होने की दशा में ग्राम स्तरीय ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावं को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने सस्तुति प्रदान को गई। उक्त प्रकरण में जो उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.07.2022 को आहूत हुई थी उसमें उपस्थित सदस्यों के द्वारा पारित प्रस्ताव

सभाओ द्वारा पारित प्रस्ताव से कोई भी व्यक्ति शुब्ध नहीं हैं। तथ्यों से यह स्पष्ट हैं कि ग्राम समा द्वारा पारित प्रस्ताव पर कोई आपत्ति उपखण्ड स्तरीय समिति को प्राप्त नहीं Sign Sign ⑤. इस प्रकार ग्राम

से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति प्रदान करती हैं होने की सम्भावना शून्य हैं। अतः ऐसी रिश्रति में जिला स्तरीय समिति ग्राम समा द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 18.07.2022 से शहमत हैं, एवं जिला कलक्टर कार्यालय अतः उपरोक्त परिस्थिति में जिला स्तरीय समिति के समक्ष 60 दिनों तक उपखण्ड स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध कोई भी आपत्ति प्राप्त

पावराग्रंड अलागढ साकर ट्रासमिशन लिमिटेड, वरिष्ठ महाप्रबन्धक, अलवर

अधिकाराता १ सामाजिक न्याय एव सहाँयक निदेशक,

उपखण्ड आधेकारा तिजारा

अधिकारी, जिला पृ

अलवर

उप वन सरक्षक, अलवर

जिला कलक्टर, अलबर

अलवर

# कार्यालय ग्राम पंचायत बाघोर, पंo सo तिजारा

प्रेषक :- सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बाघोर, पं.स.तिजारा, जिला— अलवर (राज.) M. 9772273081, 9828283479	प्रेषित:- श्रीमान्

क्रमांक.श्री.

अनापानि अभाग पत

दिनांक क्षेत्रीकृ । १२

महत्यमा अल्पारियम २००६ के तरत पारवरात्रम वन मनवासी विन आध्येमणे से महत्यमा अल्पारियम २००६ के तरत पारवर हिन्देयर वन अर्ह्म भे स्ट हैकी. उन्न सर्विट सीकर के अल्पान्ट पारेसन क्रिमीन जार्ज के स्वक्त्य में।

भीमात विमाम आप नारी महेरप, पंचापम समिति तिजारा है पम इंपार 2699, दिनांत : 24.07.2021 पालमा भे अर्थ निमली अर्थ पंचापम बापोर जिला अववर (माजरभात) है अन्तर्मत अनेवालीबन पालमा भे अर्थ निमली अर्थ पंचापम बापोर जिला अववर (माजरभात) है अन्तर्मत अनेवालीबन प्राणि के पावराजी अल्लीगढ़ सीमर इंग्लीगढ़ में इं के उत्तरीगढ़ सीमर है उत्तरीगढ़ में इं विसर पार्टिंग अर्थ निमली भे पारिम रेम्ट्रिंग (वन भूमि) में ही

उपरोश्व प्रसाद पर क्षिति ने जहरं विन्या विषयं कर निर्णय किया जाया कि अजिर तंत्रका पारेषण लाइम के क्षित्रांक के मार्कियार में किने वाला क्षेत्र पारिक्ष इंग्टेयर वन अपि जार वानिकी में अनुक्षित जन जाति केर अन्य परंपरणत वन किवादी अधिकारों की मान्यता अधिकिए 2006 के अन्यजीत परिभाषित केर्ड अनुक्षित जन जाति केर क्षेत्र परंपरणत वन अधिकिए 2006 के अन्यजीत परिभाषित केर्ड अनुक्षित जन जाति केर क्षेत्र परंपरणत वन किवादी क्षेत्र केर्ड अनुक्षित के केर्ड क्षेत्र केर्ड केर्ड केर्ड केर्ड के क्षेत्र केर्ड केर्ड केर्ड केर्ड के क्षेत्र केर्ड के

मार्थ की द्वारा पारित्र किया जाता ही

जम विकास अधिकारी साम पंचायत वापी पं० स० तिआर (अत. कंचन कुमार चौधरी
मुख्य महाप्रबंधक सेर्पन पावरित्रड, अलवर जान पंनपत पावरित्रड, अलवर जान पंनपत सरपंच चान पंचावत बाचार पुंच सक तिजारा (अलवर)



# कार्यालय ग्राम पंचायत, गोढड़ा

पंचायत समिति तिजारा (अलवर : राज०)

क्रमांक : 1

### अनापित प्रमान प्र

दिनांक 15-09-2022

विषय :- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम् २००६ के तहत 0.1541 हैक्टेयर वन श्रुपि में 765 केरी उबल सकिंह सीकर से अंलीगढ़ पारेषण लाइन (पाबरिग्रंड का प्रणे स्वापित्व) निर्माण कार्य के संबंध में;

क्रमं के १२६९९ , दिनांक - २१ छा २०१२ की पालना में ग्राम गाँठ है। , क्रमंक : २६९९ , दिनांक - २१ छा २०१२ की पालना में ग्राम गाँठ है। , गां पंचा - निजारा , पिला - अलव ( , राजा के अंतर्जत अनिवाली बन श्रीम से पाव (जिन्ड अलीजह सीक ट्रामिशन लिमिटेड अपनी सीक ( म अलीजह १६६ के वी. उलल सार्विट पारेषण लाइन निर्माण कार्य हैन राव (संदेश - 164/०से 165/० जो कि खसरा संदेश 749 ; ग्राम जाठड़ा में 0.1541 हक्श्ये स्त्रीम में हैं -

उपराक्त विषय अंतर्रात वर्णित प्रसाव पर् पृतर् संदर्भ द्वारा, गृहन विचार विमर्श कर द्वेस ग्राम समा में सर्वसाम्मित से पारित किया जाता है कि उक्त रासरा संद्या वानी वनक्षिम में पावर्णित है कि उक्त रासरा संद्या वानी वनक्षिम में पावर्णित हो किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपराजत वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत को किसी भी प्रवार से प्रमावित नहीं किया जा रहा है। उक्त वन क्षि में किसी अनुसूचित जनजाति क्वं अन्य परंपराजत वन निवासी तथा व्यवित्र जनजाति क्वं अन्य परंपराजत वन निवासी तथा व्यवित्र जनजाति क्वं काई निवास मही है।

उक्त विषय अंक्रार्ग लाइन निर्माण क्या में प्राम रामा का कोई आपित नहीं हैं। यह प्रस्तान, प्रस्तान संरम्भाः ग दिनांक 15-09-22 को पारित किया जाता है और इस प्रमाण पत्र की सर्वसम्मति में जारी किया जाता है।

ग्राम विकास आहिकारी ग्राम विकास ओहिकारी ग्राम पंचायत गोठड़ा पंठ सठ तिजारा (अलवर)

के ट्रार्थि सरपंच ग्राम पंचायत गोठड़ा पंo सo तिजास (अलवर)

कंचन कुमार चौधरी मुख्य महाप्रबंधक पावरग्रिड, अलवर

### कार्यालय पंचायत समिति तिजारा (अलवर) राज0

contact: 01469 - 262028 E-mail: bdo tijara@rediffmail.com
विनांक 27 7/2022

सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बाघोर / गोउडा पंचायत समिति तिजारा

विषय —अनुसूचितजनजाति और अन्य परपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 के तहत 4 3215 हक्टेयर वन भूमि में दिनाक 05.08.2022 को विशेष ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने बाबत।

उपरांक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि पावरग्रिड अलीगढ सीकर टांसिमेशन लिमिटेड अपनी सीकर से अलीगढ 765 के0वी0 डबल सिकंट पारेषण लाईन हेतु टावर संख्या (181/0 स183/0) जो की खसरा संख्या 287 ग्राम निमली, ग्राम पंचायत बाधौर मैं 4.1674 हैक्टेयर (वन भूषि) एवं टावर संख्या (164/0 से 165/0) जो खसरा संख्या 779 ग्राम गोठडा, ग्राम पंचायत तिजारा में 0.1541 हैक्टेयर वन भूमि में है. कुल 4.3215 हेक्टेयर वन भूमि में है. उक्त लाईन के गिलियार में आने वाले दो ग्राम निमली और गोठडा में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ),अधिनियम 2006 के तहत दिनांक 05.08.2022 को विशेष ग्राम समा आयोजित करे।

नार - उपरोक्त अधिनियम के सबध में उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के कार्यालय में दिलांक 18.07.22 202कोसफलता पूर्ण बैठक हुई है।

कमाक:- 2699-2703 प्रतिलिपी:-

01 श्रीमान ज़िला कलेक्टर महोदय अलवर

02 श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर।

03 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी तिजारा ।

04 कार्यालय हाजा।

कंचन कुमार चौधरी मुख्य महाप्रबंधक प्रावरित्रड, अलवर

विकास अधिकारी पंचायत समिति तिजारा

पंचायत समिति तिजारा

दिनांक:- 27 7/2022

### कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला अलवर (राज.)

कमांक:- पी०ए० / एफआरए / 2022 / 478

दिनांक :- 18.07.2022

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अलवर।

> विषय: वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते - पॉवरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड, अलवर को तिजारा के ग्राम निमली एवं गोठड़ा की कुल 4.3215 हेक्टेयर।

> प्रसंग: श्रीमान के पत्रांक क्रमांक प0 12-1(04)(विविध/ FRA)राज0)/22/ 3486 दिनांक 26.06.2022

महोदय,

उपरोक्त प्रसांगिक विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि पाँवरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमेशन लिमिटेड, अलवर को तिजारा तहसील के ग्राम निमली टाँवर लोकेशन (181/0-183/0) खसरा संख्या 287 तादादि (4.1674 हेक्टेयर) तथा गोठड़ा टाँवर लोकेशन (164/0 - 165/0) खसरा संख्या 779 तादादि (0.1541 हेक्टेयर), कुल 4.3215 हेक्टेयर से पाँवरग्रिड, अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमेशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत अनापित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किए जाने पर उपखण्ड स्तरीय गठित समिति बैठक दिनांक 18-07-2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता मे अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 संशोधन नियम 2012 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण - पत्र ( FRA सिटिंफिकेट ) की क्रियान्वित के संबंध मे सम्पन्न हुई बैठक का कार्यावाही विवरण एस पत्र के सलंग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

संलग्न :- बैठक कार्यवाही विवरण

कंचन कुमार शोधरी मुख्य महाप्रबंधक पावरागड, अलवर न्यारवण्ड अधिकारी स्वारवण्ड अधिकारी स्वारवण्ड

### FRA उपस्थिति

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, अलवर के पत्रांक क्रमांक: प0 12-1(04)(विविध / FRA)राज0)/22/3486 दिनांक 26.06.2022 की पालना में अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण - पत्र (FRA सिर्टिफिकेट) के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिती की बैठक दिनांक 18-07-2022 को 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में रखी गई जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया:-

क्र. संख्या	नाम अधिकारी	पद	हस्ताक्षर	वि.वि
01	महेन्ड्र सिंहभादव	A 1	ah	1
02	डा. बसना परसाय	) new or (	4	
03	194121 2726	दीरक अस्ति	2	
94	2-81 m	800 PS 172000	4	+

कंचन कुमार शोधरी मुख्य महाप्रबंधक पारपंत्रिड, अलवर उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी त्रिजीलाखल्डालवर

### कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला अलवर

### बैठक कार्यवाही विवरण

उपखण्ड स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.07.2022 का कार्यवाही विवरण:—

उपखण्ड स्तरीय परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.07.2022 को कार्यालय उपखण्ड तिजारा उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न प्रस्तावों पर चर्चा की गयी:—

पॉवरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड, अलवर के द्वारा प्रस्ताव जो कि 765 के.वी. डबल सर्किट पारेषण लाईन निर्माण के लिए तिजारा तहसील के ग्राम निमली टॉवर लोकेशन (181/0 – 183/0) खसरा संख्या 287 तादादि (4.1674 हेक्टेयर) तथा ग्राम गोठड़ा टॉवर लोकेशन (164/0 – 165/0) खसरा संख्या 779 तादादि (0.1541 हेक्टेयर) कुल 4.3215 हेक्टेयर भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे है, का प्रमाण पत्र के सम्बंधित है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण में विचार—विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि पॉवरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड, अलवर के द्वारा प्रस्ताव जो कि 765 के.वी. डी.सी. सिकंट सीकर—अलीगढ पारेषण लाईन निर्माण के लिए ग्राम निमली टॉवर लोकेशन (181/0 – 183/0) खसरा संख्या 287 तादादि (4.1674 हेक्टेयर) तथा ग्राम गोठड़ा टॉवर लोकेशन(164/0 – 165/0) खसरा संख्या 779 तादादि (0.1541 हेक्टेयर), कुल 4. 3215 हेक्टेयर भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे है, का प्रमाण पत्र के सम्बंधित है। उक्त प्रमाण पत्र दिए जाने की चर्चा की गयी।

उपखण्ड तिजारा , जिला अलवर में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिमाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

क्षेत्रीय वन अधिकारी तिजारा,

विकास अधिकारी

तहसीलक्षर तिजारा,

सदस्य

सदस्य

सदस्य

उक्त कमेटी की अनुसंशा के आधार पर प्रमाणित किया जाता है।





FRA-SIKAR

#### FORM-I

(For Linear Projects other than Plantations)
[Rule 6(3) (e) of Forest (conservation) Rules 2003 as amended up to date]
Government of Rajasthan

Sr. No. 245

Office of the District collector, Sikar

Date. 3-7-23

### TO WHOM SO EVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the rule 6 (3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (conservation) second amendment rules 2014; and forest (conservation) Amendment rules 2016] it is certified that 0.2278 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Sr. General Manager, Sikar-II Aligarh Transmission Limited (100% Subsidiary of POWERGRID), Alwar for construction of 765 KV D/C Sikar-II Aligarh Transmission Line, District-Sikar, Jaipur, & Alwar falls within the Jurisdiction of Village-Badhalo Ki Dhani Khasra No- 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023 & 2763 in Tehsil- Dantaramgarh, District-Sikar. It is further certified that:

- a) The complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA has been carried out for the entire 0.2278 Hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as attachment 01 to attachment 14
- b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA, 2006 has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- c) The proposed area does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl.: As above

(Dr. Amit Yadav)

Signaturenselid

Digitally signed by Amy Yadav Designation Collector & District Magistrate Date: 2023.07.88 0:07:36 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. 4168322





### कार्यालय जिला कलक्टर सीकर :-



#### एफ.आर.ए. की बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 22.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 में वर्णित जिला स्तरीय समिति के कर्तव्यों का वर्णन एवं विश्लेषण करने हेतु श्रीमान डॉ. अमित यादय, जिला कलक्टर, सीकर की अध्यक्षता में मिटिंग आयोजित की गई जिसमें निम्न एजेण्डो पर विचार विमर्श किया गया :--

क. स.	प्रकरण का नाम	क्षेत्रफल	संबंधित संस्था
1.	Constructrion of BT Road From Dokan to Jilo In Forest Block Dokan P.F. Range-Patan, Village-Kala Kotha & Bhitaro, Tehsil-Patan, district-sikar के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/408196/2022		अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर
2.	Construction of APPROACH ACCESS FOR INDIAN OIL CORPORATION LIMITED RETAIL OUTLET, KM STONE 338 TO KM STONE 341 CHAINAGE NO-338+923 TO 338+958 ON NH-52 (OLD-NH-11) RHS: WHILE GOING FROM JAIPUR TO BIKANER IN NEW KHASRA NO.546/157 & 632/544 (OLD KHASRA 544/157 & 546/157) (RAJASTHAN) AT vilage—MALKEDA, Tehsil & DISTRICT —Sikar 市 प्रसाद संख्या FP/R,J/APPROACH/148278/2021	0.1649 हेक्टेयर	श्री जितेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रवंधक, इण्डियन ऑयल लिमिटेड जयपुर
3.	Constructrion of BT Road Mahava to Nake Wala Balaji in dokan P.F village-Mahava range patan Tehsil-Neenkathana, district-sikar के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/405588/2022	1.1880 हेक्टेयर	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विमाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर
*	Constructrion of Missing Link BT Road From Nyorana to Kesar Ki Dhani In Forest Block Patan P.F. & Dokan P.F. Range-Patan, Village-Patan & Dokan, Tehsil-Patan, District-Sikar (Raj.) के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/409236/2022	1.5360 ਫੇਰਟੇਧਾ	अधिशाधी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर
5	Constructrion of Road Athbigha to Pipli ki Dhani, Sundardas ji, up to Salwadi (khandela) In Salwadi P.F, Village —Salwadi, Tehsil - Khandela, Range — Shri Madhopur, District-Sikar (Raj.) के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/411184 /2022	0.9810 हेक्टेयर	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजानक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर
6	Construction of 765 KV D/C Sikar-II Aligarh Transmission Line, DISTRICT-Sikar, Jaipur and Alwar (Rajasthan) IN RAJASTHAN PORTION AP-01 TO AP-180 Common POINT Rajasthan State Boundary के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/144853/2021		श्री कंचन कुमार घौघरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-॥ अलीगढ द्रांसमिशन लिमिटेड
7	Construction of Approach ACCESS For Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52 LHS) At Chainage N0-409 + 072.70 TO 409+107.70 ON OLD Khasara NO. 42 & NEW KHASRA NO.313/312, AT VILAGE-ROHAL, TEHSIL-RAMGARH SHEKHAWATI, DISTRICT- SIKAR के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Approach/156636/2022	0.1695 हेक्टेयर	प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) भारत पेट्रोलियम कॉपीरेशन लिमिटेड जयपुर

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे :--

ा. डॉ. अमित यादव, जिला कलक्टर, सीकर।

- 2 श्री राकेश कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर।
- 3. श्री भवानी सिंह, उप वन संरक्षक, सीकर।
- 4. श्री महेन्द्र प्रसाद, (SC) जिला परिषद सदस्य, मु0पो0 आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
- 5. श्री सन्तोष कुमार मीणा, (ST) जिला परिषद सदस्य,वार्ड नम्बर 03 मु.पो. दरीबा तह. नीमकाथाना जिला सीकर।
- श्रीमती वीना वर्मा, (SC) जिला परिषद सदस्य, मु० खैरवा की ढाणी पो० झाड़ली तहसील श्रीमाघोपुर जिला सीकर।

्र(1) बैठक में अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Construction of BT Road From Dokan to Jilo In Forest Block Dokan P.F. Range-Patan, Village-Kala Kotha & Bhitaro, Tehsil-Patan, district-sikar स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य डोकन से जीलो तक बीटी रोड़ के निर्माण कार्य हेतु सड़क सीना आने वाली सड़क वन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आर रही वन विभाग की भूमि ग्राम डोकन व



जीलो पटवार हल्का जीलों के खसरा नं. 13, 14, 15, 90, एवं पटवार हल्का डोकन के खसरा नं. 145, 139, 133, 132, 135, 128, 149 के रकवा 178.76 है0 में सें 2.3055 हेक्टेयर तहसील पाटन जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/408196/2022 दिनांक 27.11.2022 के द्वारा आवेदन किया गया हैं। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंशागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 2.3055 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई हैं। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त होने पर एवं उपखण्ड स्तरिय कमेटी में जारी प्रमाण पत्र के अनुसार जारी करने हेतु वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंशागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(2) श्री जितेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक, इण्डियन ऑयल लिमिटेड जयपुर के द्वारा "Construction of APPROACH ACCESS FOR INDIAN OIL CORPORATION LIMITED RETAIL OUTLET, KM STONE 338 TO KM STONE 341 CHAINAGE NO-338+923 TO 338+958 ON NH-52 (OLD-NH-11) RHS: WHILE GOING FROM JAIPUR TO BIKANER IN NEW KHASRA NO.546/157 & 632/544 (OLD KHASRA 544/157 & 546/157) (RAJASTHAN) AT vilage-MALKEDA. Tehsil & DISTRICT -Sikar" जिसका वरिष्ठ प्रबंधक, इण्डियन ऑयल लिमिटेड जयंपुर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प व सड़क के मध्य आने वाली रक्षित वन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम मलकेड़ा के राजस्व ग्राम मलकेंड़ा की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 212 रकबा 4.84 हैं0 - 545/157 रकबा 0.0546 कुल रकबा 4. 8946 में से 0.1649 हैं0 वन भूमि के राजस्व ग्राम ग्राम मलकेड़ा तहसील व जिला सीकर के वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/APPROACH/148278/2021 के द्वारा आवेदन किया गया हैं। जिसकें लिए अनुसुचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाविकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.1649 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंशगत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व किसी का हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(3) अधिशाबी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Constructrion of BT Road Mahava to Nake Wala Balaji in dokan P.F village-Mahava range patan Tehsil-Neenkathana, district-sikar स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य महावा से नाके वाला बालाजी तक बीटी रोड़ के निर्माण कार्य हेत् सड़क सीमा आने वाली सड़क वन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की भूमि ग्राम नहावा पटवार इतका महावा के खसरा नं. पुराना 2242 व 2243 व नया 934 व 935 के रकवा 117.45 है0 में से 1.1880 हेक्टेयर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/405588/2022 दिनांक 20.12.2022 के द्वारा आवेदन किया गया हैं। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंशागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 1.1880 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई है। वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरायत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रनावित नहीं होते हैं।

(4) अधिशापी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Constructrion of Missing Link BT Road From Nyorana to Kesar Ki Dhani In Forest Block Patan P.F. & Dokan P.F. Range-Patan, Village-Patan & Dokan, Tehsil-Patan, District-Sikar (Raj.) स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य न्योराना से केसर की ढाणी तक बीटी रोड़ के निर्माण कार्य हेतु सड़क सीमा आने वाली सड़क वन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही वन विमाग की भूमि ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन के खसरा नं. 16, 19, 62 व 934 के रकवा 39.07 है0 में सें 1.5360 हेक्टेयर तहसील पाटन जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/409236/2022 दिनांक 04.12.2022 के द्वारा आवेदन किया गया हैं। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंचारत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 1.5360 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य प्ररपंरागत वन निवासी का कोई दावा लिम्बत नहीं व वन भूमि

पर प्रारम्भिक कुषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(5) अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Constructrion of Road Athbigha to Pipli ki Dhani, Sundardas ji, up to Salwadi (khandela) In Salwadi P.F, Village -Salwadi, Tehsil -Khandela, Range - Shri Madhopur, District-Sikar (Raj.)स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य सालवाडी से अठबीघा तक बीटी रोड़ के निर्माण कार्य हेत सड़क सीमा आने वाली सड़क वन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की भूमि ग्राम सालवाडी पटवार ढाणी गुमान सिंह के खसरा नं. 1024, 1025, 1045, 1046, 1050, 256, 257, 261 262, 271, 273, 276, 280, 763, के रकबा 22.52 है0 में से 0.9810 हेक्टेयर तहसील खण्डेला जिला सीकर के दन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/411184 /2022 दिनांक 17.12.2022 के द्वारा आवेदन किया गया हैं। जिसकें लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंशगत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.9810 हेक्टेयर का प्रत्यादर्तन डायवर्जन पत्रायली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य पुरपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2008 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व नहीं हित प्रभावित नहीं होतें हैं।

(6) श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II अलीगढ ट्रांसिन्शन लिमिटेड (100: सबसिडियरी पावरिग्रेड) अलवर के द्वारा \*Construction of 765 KV D/C Sikar-II Aligarh Transpassion Line, DISTRICT-Sikar, Jeipur and



Alwar (Rajasthan) IN RAJASTHAN PORTION AP-01 TO AP-180 Common POINT Rajasthan State Boundary के लिये खरारा नं. 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023, व 2763 ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दातारामगढ जिला सीकर क्षेत्रफल 0.2278 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जिसका वरिष्ठ महा प्रकंषक, सीकर—॥ अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100: सबसिडियरी पावरिग्रेड) अलवर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित सीकर—॥ अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100: सबसिडियरी पावरिग्रेड) के मध्य आने वाली रिक्षत वन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम बधाला की ढाणी के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी की वन भूमि के राजस्व ग्राम ग्राम बधाला की ढाणी तहसील वांतारामगढ जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/144853/2021 के द्वारा आवेदन किया गया हैं। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण—पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.2278 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी का कोई दावा लिखत नहीं व नहीं हित प्रमावित नहीं होते हैं।

(7) प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर के द्वारा "Construction of Approach ACCESS For Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52 LHS) At Chainage NO-409 + 072.70 TO 409+107.70 ON OLD Khasara NO. 42 & NEW KHASRA NO.313/312, AT VILAGE-ROHAL, TEHSIL- RAMGARH SHEKHAWATI, DISTRICT- SIKAR" जिसका प्रादेशिक प्रवंधक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प व सडक के मध्य आने वाली वन क्षेत्र की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम रोहल के राजस्व ग्राम रोहल की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 47 कुल रकबा 5.5600 में से 0.1695 हैं0 वन भूमि के राजस्व ग्राम रोहल तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Approach/156636/2022 के द्वारा आवेदन किया गया हैं। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पन्न (FRA Cartificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.1695 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पनावली हेतु पन्नावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी का कोई दावा तम्बत नहीं द नहीं हित प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में भूमि प्रत्यावर्तन गैर बानिकी कार्य हेतु सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है।

HESSY

(महेन्द्र प्रसाद) जिला परिषद सदस्य जिला परिषद, सीकर

and the

Veers

(वीना वर्मा) जिला परिषद सदस्य जिला परिषद, सीकर सितीष कुमार) जिला परिषद सदस्य जिला परिषद, सीकर

(भवानी सिंह) छप वन संरक्षक सीकर

(राकरा कुमार) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर (डॉ. अमित यादव) जिला कलक्टर सीकर

STATE STATE

### कार्यालय उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़, जिला सीकर (राज.)

क्रमांक:- 522

दिनांक:- 03.05.2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर (राजस्थान)

विषय:-वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते- पॉवर ग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमीशन लिमिटेड सीकर के बधाला की दाणी की कुल 0.2278 हेक्टेयर |

प्रसंग:- जिपसी/निर्माण/डायवर्जन/2023/2916 दिनांक 06/02/2023 की पालना मे|

महोदय

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन हे की पॉवरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमीशन लिमिटेड सीकर के बधाला की दाणी में टावर लोकेशन 06/00- 07/00 खसरा नम्बर 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023 व 2763 कुल 0.2278 हेक्टेयर से पॉवरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमीशन लाइन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अनापित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखंड स्तरीय गठित समिति बैठक दिनांक 10.04.2023 को अधोह्स्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वननिवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 संसोधन नियम 2012 के अंतर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA सिटिंफिकेट) की किर्यान्वित के सम्बंध में सम्पन हुई बैठक कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- बैठक कार्यवाही विवरण।

OF BURNETHER STERRY

उपखंड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, दौतीरामगढ दातारामगढ़, सीकर

### कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर <u>बैठक कार्यवाही विवरण</u>

उपखण्ड स्तरीय परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 10.04.2023 को कार्यालय उपखण्ड दांतारामगढ़, उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई | बैठक में निम्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई |

पावरिग्रेड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड, अलवर के द्वारा प्रस्ताव जो की 765 के॰वी॰ डबल सिकंट पारेषण लाइन निर्माण हेतु दांतारामगढ़ तहसील के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी में स्थित टावर संख्या 6/00 से 7/00 के बीच खसरा संख्या 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023 व 2763 कुल रकबा 5.916 है॰ में से 0.2278 है॰ प्रत्यावर्तन करने हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे है, के वनाधिकार प्रमाण पत्र से सम्बंधित है।

सिमित द्वारा उक्त प्रकरण में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया की पावरिग्रेड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड, अलवर के द्वारा प्रस्ताव जो कि 765 के॰वी॰ डबल सिकेट पारेषण लाइन निर्माण हेतु दांतारामगढ़ तहसील के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी में स्थित टावर संख्या 6/00 से 7/00 के बीच खसरा संख्या 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023 व 2763 कुल रकबा 5.916 है॰ में से 0.2278 है॰ प्रत्यावर्तन करने हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे है, के वनाधिकार प्रमाण पत्र से सम्बंधित हैं | उक्त प्रमाण पत्र दिए जाने की चर्चा की गई |

उपखण्ड दांतारामगढ़, जिला सीकर में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति / समुदाय उक्त अधिनियम / नियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अत: अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

विकास अधिकारी पं•सं• पलसाना भेत्रीय वन अधिकारी, दांता र्भुश्री सुनीता वर्मा प्रधान पं०स० पलसाना श्री महेंद्र कुमार, ग्राम – सुजावास वाया रानोली सीकर

श्रीमती संतोष कुमारी, ग्राम पोस्ट अजबपुरा सीकर

उक्त समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रमाणित किया जाता है।

WALL WEINGTON

उपखण्ड अधिकारी उपखण्तंहसील-दोतारामगढ,

जिला –सीकर (राज.)

#### FRA उपस्थिति

श्रीमान जिला कलेक्टर, सीकर के पत्रांक क्रमांक जिपसी/निर्माण/डायवर्जन/2023/2916 दिनांक 06.02.2023 की पालना मे अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA सर्टिफिकेट) के सम्बन्ध मे उपखंड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 10.04.2023 को अधीह्स्ताक्षरकृता की उपिस्थिति मे रखी गयी जिसमे निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	हस्ताक्षर	अन्य विवरण
1.	सुर्मी प्रतीमा कर्मा	MDS	Janu	
2.	मुकी सुकीला	प्रधान पं-स-प्रभान)	23ATT	
3.	श्री महेन्द्र भीगा	पं व प्रमम	BUR SUR	
4.	गापाल तिंह	B.DO 9-9-4-4141)	3.3	
5.	श्री पुनेर किंह	R.O. दोला	-www.	

THE THE THE THE STORE

उपखण्ड अधिकारीरामगढ तहसील-दांतारामगढ़, जिला –सीकर (राज.)





### कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)

Phone no. 01577-273193, Email id-sdodanta@gmail.com



DATE: 06.04.2023

#### F2(3)/SDM-DTR/REVENUE/FRA/457

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति पलसाना

2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, दांता

- सुश्री सुनीता वर्मा, प्रधान पंचायत सिमिति पलसाना वार्ड नम्बर 07 ग्राम पोस्ट अजबपुरा सीकर।
- 4. श्री महेन्द्र कुमार ग्राम सुजावास वाया रानोली सीकर
- 5. श्रीमति संतोष कुमारी, ग्राम पोस्ट अजबपुरा सीकर।

विषय :- अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ.आर.ए. के संबंध में उपखण्ड स्तरीय बैठक के आयोजन के संबंध मे।

प्रसंग :- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर के पत्रांक जिपसी /निर्माण/डायवर्जन/2023/2917 दिनांक 06.02.2023 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम बधाला की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ पंचायत समिति पलसाना के खसरा नम्बर 4991/3025, 4932/3024,5131/3023, व 2763 कुल क्षेत्रफल 5.916 है0 में से 0.2278 हैक्टर भूमी पर अलीगढ़ ट्रांसिमशन लिमिटेड अलवर के द्वारा 765 केवी की ट्रांसिशन लाईन का निर्माण प्रस्तावित है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ. आर.ए. के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यलय में दिनांक 10.04.2023 (सोमवार) को दोपहर 12:00 बजे बैठक रखी गयी है।

इस बैठक में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अतः नियम समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

> (प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

> > DATE: 06.04.2023

#### F2(3)/SDM-DTR/REVENUE/FRA/457 ਸ਼ਰਿलਿਧੇ :--

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर।

- 2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर।
- श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ उपमहाप्रंबधक, सीकर—।। अलीगढ़ ट्रांसिमशन लिमिटेड, अलवर।
- 4. कार्यालय प्रति।

Signature valid

Digitally signed by Froha Verma Designation Sub rsional Officer Date: 2023.0 6 .08:46 IST Reason: Appro

RajKaj Ref No.: 3591025





# कार्यालय पंचायत समिति पलसाना,सीकर

क्रमांक:-पंसप. / 2023 / 1035 श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ ।

दिनांक:-24/3/2

विषय:—अनुसूचित. जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता अधि नियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ.आर.ए.के संबंध में ग्राम पंचायत बधाला की ढाणी की ग्राम सभा की कार्यवाही रिपोर्ट एवं अदेय प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत। प्रसंग :--श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सीकर का पत्र क्रमांक 2916 दिनांक

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II अलीगढ ट्रांसिमशन लिमिटेड (100% संबसिडियरी पावरग्रिड) अलवर के द्वारा " Construction of 765 KV D/C Sikar-II Aligarh Transmission Line District-Sikar, Jaipur and Alawar (Rajasthan) IN RAJASTHAN PORTION AP-01 TO AP 180 COMMON POINT Rajasthan state Boundry के लिये खसरा नं. 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023, व 2763 ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर क्षेत्रफल 0.2278 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय जिसका वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर—II अलीगढ ट्रांसिमशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरिग्रेड) अलवर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सीकर—II अलीगढ ट्रांसिमशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) के मध्य आने वाली रक्षित वन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम बधाला की ढाणी के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023, व 2763 कुल रकबा 5.916 में से 0.2278 है0 वन भूमि के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/144853/2021 के द्वारा आवेदन

अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व हित प्रभावित नहीं होने का प्रमाण पत्र वनाधिकारी प्रमाण —पत्र (FRA Certificate) जारी करने हेतु ग्राम पंचायत बधाला की ढाणी की ग्राम सभा के द्वारा अदेय प्रमाण पत्र व बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न कर उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

विकास अधिकारी. पंचायत समिति पलसाना,सीकर दिनांक:- 2 4 3 2023

क्रमांक:- पंसप./2023//035 प्रतिलिपि:- सूचनार्थ ।

1. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पष्ट्रिषद्, सीकर।

2. रक्षित पत्रावली।

त्यपास आधकारी, द्वार्<sup>के</sup> अल्<sup>त्र्य</sup>पंचायत समिति पलसाना,सीकर

### कार्यालय ग्राम पंचायत भदाला की ढाणी, पं.स. पलसाना (सीकर)

क्रमांक:-ग्रा.प. / 2023 / 17

दिनांक:--01.03.23

सोवामे.

श्रीमान विकास अधिकारी महोदय पंचायत समिति – पलसाना (सीकर)

विषय - ग्राम सभा की कार्यवाही विवरण भेजने बाबत।

प्रसंग:-आपका पत्र क 909 दिनांक 07.02.23 की अनुपालना में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत भदाला की ढाणी में अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत एफ.आर.ए. के सबधं में दिनांक 23.02.23 को सम्पन्न ग्राम सभा की कार्यवाही की रिर्पोट सलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

रालग्न:-

ग्राम सभा की कार्यवाही रिर्पोट।

१ एफ आर.ए हेतु अनापति प्रमाण पत्र।

III. TC 14. STANDARD CONTRACTOR C

भगावती

श्(, चंडच, री स्ट्रांग , हर्ग हामी) चु. २० वट , १४ (अंदर्ग)

THE THE STORY

# कार्यालय ग्राम पंचायत बधाला की दाणी

पंचायत समिति पलसाना (सीकर्) राज. 332402

भागवती देवी सरपंच

मो.: 9414445278

क्रमाक - माम खाना / प्रस्ताव /01 अनापति प्रसाठा पत्र"

दिनांक 23/02/202

अह्यानियम 2006 के रहर ०. ११ मार्ग के धंवल में। अह्यानियम 2006 के रहर ०. ११ मार्ग काम के धंवल में।

प्राप्त :- श्रीमान विकास आह्मकारी महोदम पंचापत स्त्रिमी प्रसाना के प्र 909/04.02.23 की पालना के राज्य ग्राम नवाला की दार्जी के जमरा ज. 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023 क 2763 में 0.2278 के अनेव्य

उपभूक्त प्रस्ताव पर विन्यार विसर्श के बाद असम् आज दिन 15 23/02/23 की अवसम्मारी के मह प्रकाब अनुमारित प्तिर किया गया है कि अक विनाम में अपनित लाइन किया है। जाम बक्याला की हानी के उपनूक्त लाइन किया है। जाम बक्याला की हानी के उक्त बन गूमि के दालीमशन लाइन के निमानि के जाम बक्याला की हानी के उक्त बन गूमि के दालीमशन लाइन के निमानि के क्या का किया के आपादी लही है। यह उन्नापित असान निमानि के प्रमान क्या का किया की किया के प्रमान क्या की किया की विकार कि विकार की किया की किया की किया की प्रमान किया की किया की प्रमान क्या की किया की प्रमान किया की किया की प्रमान की दानी की प्रमान की किया की किया की किया की प्रमान की किया की किया

असन्त्र (भागवासी देखें) अस्त २१व त्री

सरपंच ग्रा. पंचायत भदाला की द्वाणी 🖍 पं. स. पलसाना (सीकर) (महेन्द्र सिह ओला) ग्राम विकास ध्वीटक्टारी ग्रा.पंचायत पहाल की वृजी पंस प्रस्तान (सीट



आज दिनाक १३/०१/१०१३ की कामीलम् ग्राम पंनामत भदाला की दार्गा में श्रीमान विकास अधिकारी पंनामत स्नीमात पलयाना के आदेश के १००१ दिनाक ०२/०१/१०१३ की अनुपालना में स्तरपंच श्रीमात लागावती देवी की अध्यक्षता में ग्राम स्त्रभा का आमोजन किया गद्या । उक्त ग्राम स्त्रभा का में निम्नालिखेत आनेकारी, कर्मनारी जनप्रितिनि में ग्रामित उपादिनर रहे।

11/ needy Yadar भीमती बिलरी (479) भीमान भागीरम मल 14) (4-4) MIGUIZIZ 100/10 भागवति भंन्य) (5) न्वो पुराम (4-4) 27 (6) बिविवसार पावराग्रेड ) (7-2 11 (पावशानी) Sumit Kumor श्त्रामीन कुमार (8) (2771/40) روي राम्गापाल

210y 900 3mc by payall

नेमार्गरे नेरिष

अंपांड

siden (6 h)

अमें क्यारा

(सहन्द्र हिंह उन्ह प्रस्त विकास अर्थ वा पंचायत **भवना ।** वा सु, प्रतसाम (३

A Strong

2415 Ho बोल्राम र्म जोड.भछ Zonwy) allar do (Kidspl 80) रकार रिली 12.4mm } 2al OMIRH) हरी प्रधाद र्स्राल क गाम विकास अधिकार या पंचायत अदाल। नि ० on on on in च स. पलसानः (सीकरः GRETIGHT STEET and Stud -81 -श्रू लयन गुर्ग HIVI MIM

लिमिरेड लाइन निकालने की ह्वीकृति अनापार प्रमाण्-पत्र ) जारी करने के सन्ब अपरिचर कोरम के समझ अध्मन्न सहोदम ने प्रसाव रखा की भीमान विकास अधिकारी महादेभ प्यामल पललाना के आदेश के , पद्म पललाना / 2022-23/909 12-14- 07/02/2083 HARY 765 K.V D/C 2/15/ 318/016 लाइन जो कि खलरा न. 4921/3025, 4932/3024, 5/3//3023 र्व 2763 कल रकता 5.916 में के 6.2278 राजदर गाम न्याली की दाशी में ले है। उस्ते प्राह्म में अवसीनी ज्नजारि अगेर अन्य पर्पराशि वन निवासी (वन आधिकार मान्यता । तथा दमोते लम्ह उत्र खलरा मे निवास नहीं करते हैं उस्त्र लार्डेन के लिए अनामारे प्रमान -पत्र जारे। करू लिमें उपस्थित कोरम ने विनार निमशे देवेमा ज्या न्रह K.V. 2/c बीकर. अलीगढ़ लारेन निकालने हेट (F.R.A. अनापृति प्रमाण फा जारी करने का निर्णाभ सर्वे असमूर्त मारीत किया गमा

पु. ध. 02 ग्राम खला में उपारेग्यर सरहमों के समझ खरपं ने महोदमा ने राजस्व ग्राम बद्याला की दार्गी हेंगे स्वीकृष्ट उपल्वालम केन्द्र की अग्रह के न्यमून का प्रत्याव रखा। उठ प्रद्याव पर स्वदन भे विन्यार विमर्श बाद स्वित्मानी स्व निर्वार विमर्श किया गर्मा। विद् केन्द्र के अवन निमाण हेंगे ग्राम अदाला की दार्गी के खलरा ने केन्द्र के अवन निमाण होंगे ग्राम अदाला की दार्गी के खलरा ने किया की अवन निमाण होंगे ग्राम अदाला की दार्गी के खलरा ने

प्राथम असे में खर्पन्य महोदमा दुवारा खब्न्मगढ़ के साम गाम खना पंचारत के प्राप्त के स्वरूपन के स्वावना की गर।

# कार्यालय ग्राम पंचायत भदाला की ढाणी,पं.स. पलसाना

क्रमांक:-ग्राप / 2023 / 12

दिनांक :--09.02.2023

आम सूचना

ग्राम पंचायत भदाला की ढाणी के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों को सुचित किया जाता है कि कार्यालय ग्राम पंचायत भदाला की ढाणी में श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति पलसाना के आदेश क 909 दिनांक 07.02.2023 की अनुपालना में दिनांक 23.02.2023 को अनुसुचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यत) अधिनियम 2006 एव 2008 के अन्तर्गत एफ आर.ए. के संबंध में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा।

जिसमें आप सभी की उपस्थिति सादर प्राथनीय है अतः ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारकर ग्राम सभा को सफल बनावें।

> भागवती देसीरपंच सारपंच सीरपंच जामपंच्या की वाणी जामपंच्या की बाणी

प्रतिलिपि सुचनार्थः-

- 1. श्रीमान विकास अधिकारी महोदय,पलसाना।
- 2. राजस्व ग्राम समस्त के आम चौक में चस्पा।
- 3. वार्ड पंच समस्त।
- 4. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समस्त।
- 5. कार्यालय पत्रावली।



STORY OF THE LINE STORY

# कार्यालय पंचायत समिति पलसाना, सीकर

कमांकः पंसप/2022-23/ 9०१ सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बधाला की ढाणी ।

दिनांक : 7 1 1023

विषय – अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ.आर.ए.के संबंध में ग्राम पंचायत बधाला की ढाणी की ग्राम सभा की कार्यवाही रिपोर्ट एवं अदेय प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत्।

प्रसंग:- श्रीमान जिला परिषद सीकर के पत्रांक जिपसी/निर्माण/डायवर्जन/2023/2916 दिनांक 06.02.2023 के

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र के क्रम लेख है कि कंचन कुमार चौधरी ,वरिष्ठ महा प्रबंधक,सीकर—II अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिंडियरी पावरग्रिड ) अलवर के द्वारा "Construction of 765 KV D/C SIKAR-II Aligarh Transmission Line DISTRICT -Sikar, jaipur and Alawar (Rajasthan) IN RAJASTHAN PRORTION AP -01 TO AP 180 Common POINT Rajasthan Sate Boundry के लिये खसरा नं.4991/3025,4932/3024,5131/3023,व 2763 ग्राम बधाला की ढाणी सील दांतारामगढ जिला सीकर क्षेत्रफल 0.2278 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण वन एव जलवायु परिर्वतन नय जिसका वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर—II अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड ) अलवर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सीक्रर-II अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबिसडियरी पावरग्रिड ) के मध्य आने वाली रिक्षत वन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य आ रही ग्राम बधाला की ढाणी के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरां नम्बर 4991/3025,4932/3024,5131/3023 व 2763 कुल रकबा 5.916 में से 0.2278 है0 वन भुमि के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के वन एवं जलवायु पविर्तन मंत्रालय भारत सरकार कि बेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/144853/2021 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकारी प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.2278 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली

अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता ) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी कोई दावा लम्बित नहीं व हित प्रभावित नहीं होने का प्रमाण पत्र वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने हेतु आपकी ग्राम पंचायत में ग्राम स<u>्था का आयो</u>जन कर ग्राम सभा के द्वारा अदेय प्रमाण पत्र व बैठक कार्यवाही अविलम्ब भिजवावें ताकि समय पर जिला स्तुरीय कमेटी के द्वारा FRA Certificate जारी किया जा सकें।

विकास अधिकारी

पंचायत समिति पलसाना

दिनांक : 7 2 2023

क्मांकः पंसप/2022-23/ ११०- ११2 प्रतिलिपि:- सूचनार्थ ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर सीकर ।

2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर ।

3. श्री कंचन कुमार चौधरी ,वरिष्ठ महा प्रबंधक,सीकर—II अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडिंयरी पावरग्रिड ) 4. कार्यालय पत्रावली ।

विकास अधिकारी पंचायत समिति पलसाना

#### राजस्थान-सरकार

## कार्यालय जिला परिषद सीकर

क्रमांक:-जिपसी/निर्माण/डायवर्जन/2023/ 2016 विकास अधिकारी. पंचायत समिति पलसाना, जिला सीकर

विनांक:- 6 - 2 - 23

विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंशगत यन नियासी (यनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ,आर.ए. के संबंध मे ग्राम पंचायत बधाला की बाणी की ग्राम सभा की कार्यवाही रिपोर्ट एवं अदेय प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-॥ अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) अलवर के द्वारा "Construction of 765 KV D/C sikar-II Aligarh Transmission Line DISTRICT-Sikar, Jaipur and Alawar (Rejasthan) IN RAJASTHAN PORTION AP -01 TO AF 180 Common POINT Rajasthan State Boundry के लिये खसरा नं. 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023, व 2763 ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दातारामगढ जिला सीकर क्षेत्रफल 0.2278 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जिसका वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-॥ अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) अलवर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सीकर-॥ अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरग्रिड) के मध्य आने वाली रक्षित वन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम बधाला की ढाणी के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023, व 2763 कुल रकबा 5.916 में से 0.2278 हैं0 वन भूमि के राजस्व ग्राम ग्राम बघाला की ढाणी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/144853/2021 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसकें लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.2278 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित फोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व हित प्रभावित नहीं होने का प्रमाण पत्र वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate ) जारी करने हेतु ग्राम पंचायत बधाला की ढाणी की ग्राम सभा के द्वारा अदेय प्रमाण पत्र व बैठक कार्यवाही अविलम्ब

भिजवाये ताकि जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा से FRA Certificate जारी किया जा सकें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर दिनांक:- 6. 9-23

क्रमांक :- जिपसी/निर्माण/डायवर्जन/2023/ 29/6 प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

1. श्रीमान जिला कलक्टर सीकर।

2. श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-॥ अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी

पावरग्रिड) अलवर। 3. कार्यालय प्रति।

#### राजस्थान-सरकार

# कार्यालय जिला परिषद सीकर

क्रमांक:-जिपसी/निर्माण/डायवर्जन/2023/ 2917

दिनांक:- 6 - 2 - 23

उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड दातारामगढ जिला सीकर

> विषय:—अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफ.आर.ए. के संबंध मे उपखण्ड स्तरीय कमेटी की बैठक की कार्यवाही एवं अदेय प्रमाण भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-॥ अलीगढ ट्रांसिंगन लिमिटेड (100% सबसिंडियरी पावरिग्रंड) अलवर के द्वारा "Construction of 765 KV D/C sikar-II Aligarh Transmission Line DISTRICT-Sikar, Jaipur and Alawar (Rajasthan) IN RAJASTHAN PORTION AP -01 TO AP 180 Common POINT Rajasthan State Boundry के लिये खरारा नं. 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023, व 2763 ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दातारामगढ जिला सीकर क्षेत्रफल 0.2278 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जिसका वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-॥ अलीगढ ट्रांसिमेशन लिमिटेड (100% सबसिंडियरी पावरिग्रंड) अलवर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित सीकर-॥ अलीगढ ट्रांसिमेशन लिमिटेड (100% सबसिंडियरी पावरिग्रंड) के मध्य आने वाली रक्षित वन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम बधाला की ढाणी के राजस्व ग्राम बधाला की ढाणी की वन भूमि की महम के राजस्व ग्राम ग्राम बधाला की ढाणी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/144853/2021 के द्वारा आवेदन किया गया हैं। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध प्रस्तुत की गई हैं।

वन अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होने का उपखण्ड स्तरीय कमेटी की बैठक का अदेय प्रमाण पत्र, एवं बैठक कार्यवाही की प्रति सहित भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। ताकी जिला स्तरीय कमेटी द्वारा वनाधिकार प्रमाण—पत्र (FRA Certificate) जारी किया जा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,सीकर विनांकः— 2,76,23

क्रमांक :- जिपसी/निर्माण/डायवर्जन/2023/ 2917-प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

1. श्रीमान जिला कलक्टर सीकर।

2. श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर—II अलीगढ ट्रांसिमशन लिमिटेड (100% सबसिडियरी पावरिप्रेड) अलवर।

3. कार्यालय प्रति।

fewer grafans

राजस्थान-सरकार केल्प्स्य सहीप्रबंधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर

FRA-Jaipuz

#### FORM-I

(for linear project)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Jaipur

No. ZPJ/MADA/2023/ 5 .70

Date 28/04/2023

#### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environmental and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for nonforest purpose read with MoEF letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 11.2828 hectares (Village Buchara Khasra No. 1077, 1078, 1079, 1092, 1093 and Village Kirarodh Khasra No. 1190/6, 1189/6, 22, 1205/42, 1204/41) of forest land proposed to be diverted in favour of POWER GRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LTD ALWAR, RAJASTHAN (name of user agency) for Construction of 765 KV D/C Sikar-II – Aligarh Transmission Line, District-Sikar, Jaipur and Alwar (Raj.) at village Buchara & Kirarodh (purpose for diversion of forest land) in Jaipur district falls within jurisdiction of TEHSIL PAOTA.

#### It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 11.2828 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Ward Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 2 respectively.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and The Sub-Division and District Level Committee have given their consent to it; (The consent of the concerned Ward Sabhas is not required as per MoEF GOL latter No.11.09.08-FC(pt.) dated 05.02.2013 & 05.01.2013)
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.

Encl: As above

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

Signature valid

Digitally signed by Prayash Rajpurohit Designation Collecto & District Magistrate

Date: 2023.04.27 17:45:19 IST Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3727094

#### राजस्थान सरकार

#### कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा) जिला परिषद जयपुर

E-Mail Id:- madajaipur@gmail.com

Ph. 0141-2207970

क्रमांक : जिपज / माडा / वन / बैठक / 2023 /

दिनांक:--

#### बैठक का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 12.04.2023 को 12:00 PM पर कलेक्ट्रेट जयपूर सभागार में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति जयपुर ग्रामीण की बैंडक आयोजित की गई, जिसमें समिति अध्यक्ष श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर, उपवन संरक्षक जयपुर-उत्तर एवं मनोनित जिला परिषद सदस्य श्री रामकेश मीणा, श्री विजय मीणा एवं श्री मनोज कुमार कुमावत उपस्थित हुए। बैंठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम-2008 एवं संशोधित्व नियम-2012 के अन्तर्गत वरिष्ठ महाप्रबंधक, पावरग्रिङ, जिला अलवर के द्वारा प्रस्तावित Construction of 765 KV D/C Sikar-II - Aligarh Transmission Line, District- Sikar, Jaipur and Alwar (Raj.) के लिए ग्राम बुचारा (खसरा नं. 1077, 1078, 1079, 1092 व 1093 से 11.0617 हेक्टेयर वन भूमि) व ग्राम किराड़ोद (खसरा नं. 1190/6, 1189/6, 22, 1205/42 व 1204/41 से 0.2211 हेक्टेयर वन भूमि) तहसील पावटा क्षेत्र की आवश्यक 11.2828 हेक्टेयर वनभूमि के परिवर्तन (Diversion) के सम्बंध में चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पावटा जयपुर के पत्रांक 2032 दिनांक 16.11.2022 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा बैठक में विस्तृत चर्चा व विचार-विमर्श उपरान्त उक्त परियोजना के लिए कुल आवश्यक 11.2828 हेक्टेयर वनभूमि का FRA प्रमाण जारी करने हेल सहमति दी

जिला स्तरीय समिति शहर की बैठक को दौरान अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि उपरोक्तानुसार आवश्यक 11.2828 हेक्टेयर वनभूमि के चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समृदाय कोई भी दावें अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 अन्तर्गत लिखत अथवा अनिर्णित नहीं है। अधिनियम की धारा 3(1)(e) के अनुसार जनजाति समूहो और कृषि पूर्व समूदायों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। समिति की चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि का नियमानुसार सक्षम स्तर से प्रत्यावर्तन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है।

समिति सदस्यों के द्वारा सर्वसहमित से लिये गये निर्णय की अनुपालना में अध्यक्ष जिला कलक्टर जयपुर द्वारा उक्त 11.2828 हेक्टेयर वनभूमि का FRA अन्तर्गत परिवर्तन (डायवर्जन) प्रमाण पत्र जारी करने हेत् निर्देशित कर बैठक समाप्त की गई।

उपज्ञान संस्कृतक जयपुर (उत्तर)

मन्पर्यनिवरहोहें) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा) पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा) जिला परिषद जयपुर

(जसमीत सिह संध्) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला परिषद जयपुर

(प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टरू 是自己

रामकेश मीणा) जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या-25

(विजय मीणा) जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या–30 पावशीरिक अलवर

(मनोज कुमार कुमावत)

#### राजस्थान सरकार कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद जयपुर

E-Mail Id:- madajaipur@gmail.com

Ph. 0141-2207970

क्रमांक : जिपज/माडा/वन/बैठक/2023/545 - 558

दिनांक:- 06-04-2023

#### बैठक सूचना

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम—2008 एवं संशोधित नियम—2012 के अन्तर्गत जिलें के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं हेतु आवश्यक वनभूमि का FRA ग्रामाण पत्र जारी करने के सम्बंध में अधिनियम की क्रियान्विति हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की दिनांक 10.04.2023 को 04:00 PM पर कलेक्ट्रेट जयपुर सभागार में बैठक आयोजित की जावेगी।

उक्त बैठक में जिलें के शहर व ग्रामीण क्षेत्र हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के निम्न

सदस्य एवं अधिकारी द्वारा भाग लिया जावेगा:-

१व जीवकारा क्षारा, जान गराचा जान गर	
नाम अधिकारी / पदनाम / मनोनित सदस्य	
जिला कलक्टर जयपुर	अध्यक्ष
ज़िला परिषद जयपुर	सदस्य सचिव
मण्डल वन अधिकारी या उपवन संरक्षक	सदस्य
उपायुक्त नगर निगम जयपुर जोन	सदस्य
श्री भूपेन्द्र मीणा, पार्षद, वार्ड नं11, नगर निगम जयपुर हैरिटेज	सदस्य
श्रीमती भगवती देवी, पार्षद वार्ड नं27, नगर निगम जयपुर हैरिटेज	सदस्य
श्री रजत विशनोई, पार्षद वार्ड नं 09, नगर निगम जयपुर हैरिटेज	सदस्य
श्री रामकेश मीणा, जिला परिषद सदस्य, वार्ड संख्या—25	सदस्य
	सदस्य
श्री मनोज कुमार कुमावत, जिला परिषद सदस्य, वार्ड संख्या-03	सदस्य
	नाम अधिकारी/पदनाम/मनोनित सदस्य जिला कलक्टर जयपुर पुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी, माडा, जिला परिषद जयपुर मण्डल वन अधिकारी या उपवन संरक्षक उपायुक्त नगर निगम जयपुर जोन श्री भूपेन्द्र मीणा, पार्षद, वार्ड नं.—11, नगर निगम जयपुर हैरिटेज श्रीमती भगवती देवी, पार्षद वार्ड नं.—27, नगर निगम जयपुर हैरिटेज श्री रजत विश्वनोई, पार्षद वार्ड नं.—09, नगर निगम जयपुर हैरिटेज श्री रामकेश मीणा, जिला परिषद सदस्य, वार्ड संख्या—25 श्री विजय मीणा, जिला परिषद सदस्य, वार्ड संख्या—30

9929234500 7733995454 9413340697

उक्त बैठक अधिशाषी अभियंता (टीएण्डसी) आरवीपीएन जयपुर सिटी, वरिष्ठ महाप्रबंधक पावरग्रिड जिला अलवर एवं अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड—द्वितीय (उत्तर) जयपुर के द्वारा भी भाग लिया जीएगा।

बैठक एजेन्डा :--

उपखण्ड स्तरीय समिति से अनापत्ति प्राप्त निम्न परियोजनाओं के लिए आवश्यक वनभूमि को परिवर्तन कर जिला स्तर से FRA प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में चर्चा व विचार—विमर्श किया जावेगा :—

 अधिशाषी अभियंता (टीएण्डसी), आरवीपीएन, जयपुर सिटी के laying for under ground 132 KV XLPE 500 Sq. MM cable from 220 KV GSS Kunda ki Dhani to 132 KV GIS Laxman Doongari, Jaipur City Dist. Jaipur हेतु आवश्यक 0.1592 हैक्टेयर वनभूमि

 वरिष्ठ महाप्रबंधक, पावरग्रिङ, जिला अलवर के द्वारा Construction of 765 KV D/C Sikar-II – Aligarh Transmission Line, District- Sikar, Jaipur and Alwar (Raj.) के लिए ग्राम बुचारा व किराङोद तहसील पावटा क्षेत्र की आवश्यक 11.2828 हेक्टेयर वनभूमि

3. अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड—द्वितीय (उत्तर) जयपुर के द्वारा laying of pipe line water supply project at Amer Village हेतु आवश्यक 0.9406 हैक्टर वन

Signature yalid

Digitally signed by Sur an Devi Designation Additional Chief Executive Digital Chief Executive Digital Chief Date: 2023.04.86 2:27:43 IST Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3582293





# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर (राज.)

क्रमाक:-राजस्व/2022/ 2032

दिनांक :- 16/11/22

अतिरिक्त मुख्यकारी कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा) जिला परिषद जयपुर

> विषय:— वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते — पावर ग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड जयपुर के पावटा के ग्राम बुचारा एवं किराडोद की कुल 11.2828 हैक्टेयर

प्रसंग:— क्रमांकः जिपज/माडा/वन/2022—23/161—164 दिनांक 27.07.2022 की पालना में।

महोदय्

उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि पॉवरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड, जयपुर के पावटा तहसील के ग्राम बुचारा टावर लोकेशन 81/2-81/6 खसरा नम्बर 1077 तथादि (11.0617 हैक्टेयर ) तथा किराडोड टावर लोकेशन 102/0 से 103/0 खसरा न. 22 तथादि (0.2211हैक्टेयर) कुल 11.2828 हैक्टेयर से पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसिमशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में उक्त अधिनियम में तहत अनापित प्रमाण पत्र जारी करने हेतू निवेदन किये जाने पर उपखण्ड स्तरीय गठित समिति बैठक दिनांक 10.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता कि अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारो कि मान्यता ) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 संशोधन नियम 2012 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA सिटिंफिकेट) की कियान्वित के संबंध में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यावाही विवरण इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेंषित है।

संलग्न:- बैठक कार्यवाही विवरण

उपख्य अधिकारी उपख्य अधिकारी पावटी जयपुर

SDM/OFFICE PAOTA, Email- sdo.paota.jpr@gmail.com, Add-Oppsite to JN Vidhaylay, Paota, 303106

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला जयपुर


#### बैठक कार्यवाही विवरण

उपखण्ड स्तरीय परम्परागत वननिवासी(वन अधिकारों की मान्यता) 2008 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांकः 10.11.2022 को कार्यालय उपखण्ड पावटा, उपखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

पॉवरिगांड अलगढ़ सीकर ट्रांसिमेशन लिमिटेड, अलवर के द्वारा प्रस्ताव जो कि 765 केंबी डबल सिकंट पारेषण लाइन निर्माण के लिए पावटा तहसील के ग्राम बुचारा टॉवर लोकेशन 81/2-81/8 खसरा संख्या 1077 तथादि(11.0617 हैक्ट.) तथा किराड़ोद टॉवर लोकेशन 102/0 से 103/0 खसरा संख्या 22 तथादि(0.2211 हैक्ट.), कुल 11.2828 हैक्ट. भूमि प्रत्यारोपण करने हेतू वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे हैं, का प्रमाण पत्र संबंधित हैं।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया है फॉक्रिगेड अलगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, श्री माघोपुर के द्वारा प्रस्ताव जो कि 765 केवी डबल सर्किट पारेषण लाइन निर्माण के लिए पावटा तहसील के ग्राम बुंचारा टॉबर लोकेशन 81/2-81/6 खसरा संख्या 1077 तथादि(11.0617 हैक्ट) तथा किराड़ोद टॉवर लोकेशन 102/0 से 103/0 खसरा संख्या 22 तथादि(0.2211 हैक्ट) कुल 11.2828 हैक्ट. भूमि प्रत्यारोपण करने हेतू वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे है, का प्रमाण पत्र संबंधित है। उक्त प्रमाण पत्र दिये जाने की चर्चा की गई है।

उपखण्ड पावटा जिला जयपुर में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता)2006 एवं 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमीं के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गई।



विकाक्षे कार्धिकारी प्रमामकुरा प्रचायत समिति,पावटीसम्बद्धाः सदस्य

महस्रीमस्त्रहरूका पावदम्द्रियपुर)

उवत कमेटी की अनुसंशा के आधार पर प्रमाणित किया जाता है।

THE THE STATE OF THE PARTY OF T

राजू भीणा' पिंचणहा समिति सदस्य हाँतिल पान्य 'जयपुर)

गीरा देवी पंत्रासदस्य यार्ड नं –05 युवारा,फतेहपुरा (पायटा) पावसावज्ञ (ज्ञानपुर)

कंचन कुमार सीधरी पावरमिड, अलवर पावरमिड, अलवर

### FRA उपस्थिति

श्रीमान जिला कलेक्टर, जयपुर के पत्नांक क्रमांक जिपज/माडा/वन/2022-23/161-164 दिनांक 27.07.2022 की पालना मे अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र (FRA सर्टिफिकेट) के संबंध मे उपखंड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 10.11.2022 को 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष मे रखी गई जिसमे निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया:-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद	हस्ताक्षर	वि. वि
01	स्रेपून शिष्ट	वन्याल	- CC-C	-
02	स्थिप जेत	Harlo	-Lande !	1
03	नाम्लाल दुमानर	NTDR	-2-	1
04	राडेश दुगार वर्ग	800	co_	- "
05	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A AMERICAN	J. 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

उपादांकः अधिकाला र तहसाला (ज्यप्र) तहसाला पावटा

जिला- जयपुर

THE HELPHER

### न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर (राज.)

कमाक:- राजस्व / 2022 / 1986 - 90

दिनांक:- 3-11-22

प्रेमितः- तहसीलदार पावटा, विकास अधिकारी पावटा, वन अधिकारी व डिप्टी मेनेजर पावर ग्रिड

> विषय:- 765 के.वी. डी.सी. सीकर-अलीगढ ट्रांसिमशन लाईन हेत् बैठक के संबंध में।

> प्रसंग:- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के पत्रांक जिपज / माडा / वन / 2022-23 / 161-164 दिनांक 27.07.2022 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम बुचारा एवं किरारोड में 765 के.वी. सीकर से अलीगढ ट्रांसमिशन लाईन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन्यवासी अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वन भूमि आयोजन वन आपति प्रमाण-पत्र के संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में दिनांक 10.11.2022 को 11.00 बजे बैठक रखी गयी है।

अतः इस बैठक में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अतः नियत संगय पर इस कार्यलय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें

उपखण्ड अधिकारी पावटा जयपुर

C42914 [9799758019]
SDM OFFICE PAOTA, Email-sdo.paota.jpr@gmail.com, Add-Oppsite to JN Vidhaylay, Paota, 303106

कंचन कुमार शोधरी HEINGER पावरमिड, अलवर

### न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर (राज.)

कमांक:- राजस्व / 2022 / 1986 - 90

दिनांक:- 3-11-22

प्रेषित:— तहसीलदार पावटा, विकास अधिकारी पावटा, वन अधिकारी व डिप्टी मेनेजर पावर ग्रिड

> विषय:- 765 के.वी. डी.सी. सीकर-अलीगढ ट्रांसिमशन लाईन हेतु बैठक के संबंध में।

> प्रसंगः— श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के पत्रांक जिपज / माडा / वन / 2022—23 / 161—164 दिनांक 27.07.2022 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम बुचारा एवं किरारोड में 765 के.वी. सीकर से अलीगढ ट्रांसिमशन लाईन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन्यवासी अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वन भूमि आयोजन वन आपित प्रमाण–पत्र के संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में दिनांक 10.11.2022 को 11.00 बजे बैठक रखी गयी है।

अतः इस बैठक में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अतः नियत समय पर इस कार्यलय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें

> कंचन कुमार शोधकी मुख्य महाप्रबंधक पावरगिड, अलवर

उपखण्ड अधिकारी पावटा जयपुर

SDM OFFICE PAOTA, Email-sdo.paota.jpr@gmail.com, Add-Oppsite to JN Vidhaylay, Paota, 303106

### कार्यालय पंचायत समिति पावटा, जिला-जयपुर (राज.)

Email ID:- bdo.jai.paota@gmail.com

कुमांकः- पंसपा / पंचा.शा. / २०२२ / उ०। ०

दिनांक:- 07 10 2022

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड पावटा (जयपुर)।

> विषय:— अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 के तहत 11.2828 हेक्टेयर वन भूमि में हेतु विशेष ग्राम सभा की बैठक दौरान प्राप्त अन्नापित प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 1405 दिनांक 04.08.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 के तहत 11.2828 हेक्टेयर वन भूमि में हेतु विशेष ग्राम सभा की बैठक के दौरान प्राप्त ग्राम पंचायत जोधपुरा एवं बुचारा के अन्नापित प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव मूल ही संलग्न कर श्रीमानजी की सेवामें अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:—

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

त्रम अधिकारी

विकास अधिकारी पं.स. पावटा जिला जयपुर

(केलाश चन्द्र भेनी) (वरि. सहायद्र) (शाजस्व शाववा) कंचन कुमार शोधकी मुख्य महाप्रबंधक पावरगिड, अलवर

C:\Users\OK\Desktop\Manish.Docx

# of the curing of pile

# कार्यालय ग्राम पंचायत-जोधपुरा



पंचायत समिति - पावटा जिला- जयपुर (राज.)

सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी	श्रीमान्
ग्राम पंचायत	
जोधपुरा	

क्रमांक / ज्ञा सभा / प्रस्ताब : ३ अतापाते प्रमाण पत्र "

निषम:- अनुसूचित जनजाति और अत्य परस्पशानत बन आध्येकारो की मान्यता
आध्येतियम २०६६ के तहत ०.२२।२ है॰ वत स्रामि में ३६५ कै॰ वी॰ डबल
सार्केट भीकर अवीगाद पारेषण लाइन (PASTAL) के निर्माहा कार्म में
शेवनी- श्रीमान विकास आध्येकारी महीदम पंचामत सामिती पावरा के पंचाक
२२३५/३४ दिनांक - २७०१-२२ की पालना में म्लाम किशरीड म्लाम पंचाम
जीव्यपुरा ,पावरा अपनी भीकर से अलीगाद १६६ के॰ वी॰ डबल शब्दि पारेषम लाइन निर्माहा हैन रावर संख्या १०२/०० भे १०३/० जी की स्वसंच्य संख्या
1190/६, 1189/६, २२, 1205/42, 1204/41 म्लाम किराडीद में ०.२२12

उपम्बल प्रस्तान पर निचार निर्मन के बाद आज दितांक - 02.10.22 को सर्व सामिती से अह अस्तान अनुमोदिन परित किया गया है कि उस्त नि भूमि में उपमूक्त रावर/ लाइत निर्मात का प्रमानित मही दिया गया है | उक्त नि भूमि में अनुस्तित जनजाति का निर्मा तथा का प्रमानित नही दिया गया है | उक्त नि भूमि में अनुस्तित जनजाति का प्रमान निर्मा तथा निवासी तथा व्याक्त से अनुस्तित जनजाति का निर्मा पंचायत जीवापुरा को ग्राम क्लिडीप में उस्त निर्मा भी द्वासामिशन लाईन के निर्माण भी कोई अपनि नहीं है | म्हाम भागा इस भस्तान भी एकमत है थह अनापात प्रमान पंचायत जीवापुरा को निर्माण भी एकमत है | स्वाप्त अन्तापति प्रमान पंचायत जीवापुरा को निर्माण भी एकमत है | स्वाप्त अन्तापति प्रमान पंचायत जीवापुरा को निर्माण भी एकमत है | स्वाप्त अन्तापति प्रमान पंचायत की जाती है |

cart

याम विकास **अधिकारी** साम प्रणानक **ओ**धपूरा पं. स. पावटा **जि स्यप्**र सर्पंची प्राप्त जोशपुरा प्रस्तिवदा (असंप्र)

कंशन कुमार कोश्वरी प्रावसीय महाप्रवंशक प्रावसीय अलवर

# कार्यालय:- ग्राम पंचायत, बुचारा

एक प्रत्य भगवता भी बोत

पंचायत समिति पावटा (जयपुर) राज.



प्रेशक:-

बिमला देवी

सारपांच

ग्राम पंचायत बुचारा
पंचायत समिति पावटा(जयपुर)
मों. 9828493395

à.					
\(\text{11.}					
श्रीम	IIV				
211		1.			
		1 .	1		
			1		
				-	
			/		
			1		
			. )	-	

क्रमांक-ग्रा./पं./बु./क्रांस्का/भस्तव ०३ 'अतापात सुनाण पत्र"

दिनांक 02-10-22

विषय: - अवस्त्राचित जनजाति और अत्म परम्परागत वन आधिकारी की मान्यता आधीनिकाम २००८ के तहत 11.1828 है. वन भूमि में 765 के. बी. उबल स्तार्केट सीकर- अलीगढ़ पारेषण लाइन (PASTL) के निर्माण कार्य में

सिवार १ मित्र विकास आध्येकारी महीद्य पंचायत समिति पावरा के पंजाक २२३५/३२ दिवार १२.09.22 की पालना में माम बुचारा माम पंचायत बुचारा , पावरा अपनी सीकर - से अलीगद निर्व के बी॰ डबल स्विट पारंपन लाइत निर्माट हेतु टावर संस्था 91/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, जो कि स्वस्तर संस्ट्या 1077, 1078, 1079, 1092, 11931 माम बुचारा में 11.2828 है॰ भूमि में हैं।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार विभेश के बाद आज दिनां ०-०१-10.22 की सर्व आपीत भी यह प्रस्ताव अनुमीदिल पारित किया गया है वि उक्त वनभूमि में उपर्युक्त टाव लिएत निर्माण आ अभावेत नहीं किया गया है | उक्त वनभूमि में अपर्युक्त टाव विस्तापित था सभावित नहीं किया गया है | उक्त वनभूमि में अनुस्त्राचित अवज्ञाति और अन्य प्रापशान वन निवासी तथा व्याक्त समूह विपास

रमाम वंचायत खुचारा की स्माम खुचारा में उसत वनभूमि है हास्मिश्वाल लाईन के निर्माण भी कोई अपनि तही है। स्माम सभा इस प्रस्ताव भी एकमत है।

भह अनापाते ममाण पना ग्राम पंचामन बुचारा की बैंडक दिनों 02-10-22 के प्रस्तान संरक्षा 03 द्वारा पारित की जाती है।

> कंचन कुमार कोमरी मुख्य महाप्रकंपक पावरमिंड, अलवर

्राध्य प्रसाति मुजर याम विकास अधिकारी याम पद्मायते. पुर्धारी प्रसापावटा संस्थपर विभिता.

प्रस्ताव सं उ लेंडड अर्मवादी (नेवरन) गान का -2-162 का प्रांच से अर्ज पाने प्रना -2-162 का प्रांच से अर्ज कार्यन के निकालने की रिकालने की रिकालने की रिकालने की प्रमाल पत्र ) जारी उरने के संबंध में ) निर्नमः उपरिवात डीरम डे समान अध्यश महोदय ने अस्ताव रखा डी अमिन विकाल अधिकारी महोदय पंचायत समिति पावरा, प्रथपुर डे खादेश क्रमांक २१३८ - 37 दिनांक २१००० २००० विषय ७६५ १००। ७/८ सीउर अलीगढ़ पारेषण लाईन रावर संख्या 102/00 से 103/00 जो डि खबरा संख्या 1130/6 ग्याम् । डिराड़ो द 1189/6, 22, 1205/42, 1204/41 असे (0.2212 १वन त्रुषि) हेम्प्येट है। अस जोधपुरा मं अनुसूचित जनजाति तथा व्यक्ति सम्ह उक्त व्यस्तरा में निवास नहीं अस्ते हैं। उक्त जार्रन है जिए अनापित जमान पत्र जारी असे हैं। उक्त जार्रन है जिए अनापित जमान पत्र जारी असे असार जिया तथा 715 k.v. 2/2 सीहट - अलीगढ़ पारेषण लाईम निर्धालिन हेबू (F. R.A.) अनापति अमाण पर पारी करने हा निर्ण सर्वसम्मरी से पारीत (321)

ग्राम विकास अभिकारी ग्राम पचायत जोधमुरा पं. स. पावटा जि अया

2/2/

ग्राम पंचायत, जोधपुरा पं स.पावंदा (जायपूर)

# रैंडन कार्याही विवर्श ग्राम मामा ०२-10-2022

प्रस्तात सीख्या 01 :- मुख्य भंती चिरं जिति भीजना का भाषक प्रचार प्रसार -मरने एवं भीजना भी आम जन की लाभानित

किये अभी पर चर्ची!-निर्वार उपारकार केरिका एवं साधामडा महीयमा के सामाज सिवेव क्राम पंचाभूत एवं ANM की गती बीना भावन में मुख्य भंती विश्वी भीजना के बारे में विस्तार से समझाया केर की जिल परीवारी की शहानकार्ड में स्वाधान आअज्ञी मिलती है उन परिवारी (NESA हाँ) की उन्ने भी जना का लोग शक्म स्माए डिक्रि मित्मण 10 लाख क्रिकी पका कार मित्मल हिलास मेहारा अठकारी व भाष ही प्रदेश की ने परिवार जिनकी वर्तभान भी २१५म । कुन्स भारकार द्वारा भेडीक्लेम । मेडीकल अर्थन्डेहर नियम के अन्तेगत लाभ गही भील रहा है ने परिवार क 800 850 (अम्ह से पचास) का मुगलान कर भी अना में जुड यमारी है अभीत राज्य का की है भी नामारीका भीजना भी जाउँ सकता है। NFSA एवं 56ec ने पूर्व भी लाभाग्वित परिवारी की इस भोजाता. सावव्यानिका नहीं होती उन्त भीजना में पंजियम कार्याने की का जान का जैने के लीए नाजदीकी Emitter पर जानर Chianvert विन्देशन करवाने के लीए अपके पास जन साधार कार्ड, जन साधार नार्ड लाम्बर भा अन हालार पंजियन रसिद में ही की सी एक का होना कालशामक है उन्त भी जना का अनिक से कार्यिक ब पारेनारी की लामान्नित नारवामी जानी लगा प्रस्ताव अविकारमती में पारीत की भा गमा।

प्रस्ताव संख्या 02 ग्राम पैचायत बुचारों की जन आहार मुन्दि (०१-०१- २०११ 70 उ०-०६-२०१२) का संकेत्र १० एवं अनुभीय निर्वा = उपार्ट्यात की सम एवं अध्ययस महोदया की स्थान सन्विव द्वारों भ्याम पैचायत स्नेत्र खनारा, पं० स्न प्रविश की जन साधार स्त्रीचे (०१-०१-००१२ में उ०-०६-२०१२) एक की पहकर सुनाया। जाया एवं आम जन से उम्र सुनि

(Dr

लेखक कार्यवाही विवरता गाम सभ्या . 02-10-2022

का अंकेड्राण ( अत्योक परिवार का) करवाया) गणा जिसके उपस्थित कोरम ने बढ़ी सर्व स्थाप्त यो द्वानुभीदन कीय जन भाषार भौजना प्लीर फार्ज की भाषाभा मी विशिव्स लोक भूक्साणकारी भोजनाश्ची के ह्यास्थात विशेष्ट्री गणी लाकी का प्रशासिक प्रतिषेद्द्य मेंद्रीपार विश्वरण

भीनना भार लाग नि हिस्सी

5	ये भौजना का लाज राशन अमिरिएम गैंड	श्रुल राजारित्स परिवाद	सारस्य	किल लाग
1		4-61	2252	61715
2	राहान गेंड	4-61	2252-	64055
3	अनु जाति के विधायिशी हेतु उर्व मेरीन	10	13	12250
4	अनुदर्भन्यात — नेव —	- 10 :	15	15750
5	विशेष पिह्य करि - व	- 3	3	2700
6	शनमी भौजना	_ 23	23	65000
7	मुख्यमंत्री उच्चाशका हात्रवरी	_ 3,	3.	9500
8	साभाजिक सुरहा। प्रान र	- 253	364	1234000
9	58c/mgc के हाजी के लीए हात्रश्री	- 2	3	2000
10	जनमी सुरह्मा भौजना	- 10	10	16211

प्रस्ताव सेरवा 03 765 K.V. जाट सीकर - अलीगढ पारेषण लाईन के निकालने की स्वीकृति हेतु F.R.A (अनापत्रि प्रमाण प्रमा) नारी करने के सेवंदा में 1

निर्वाय : - उपस्थित कीरम की समझ अध्यक्त महीवय ने प्रस्ताव विर्वाय : - उपस्थित कीरम अधिकारी महीवय पंचायत सामिति पावण, जन्म की अमीमान विकास अधिकारी महीवया पंचायत सामिति पावण, जन्म के यादेश क्रमांक 2538-37 दिनाक 27-09-2022 विषय 765 १८.५. १८.५ और सीकार यानीगढ पार्टेणण लिख टावर सीख्या है।/3,81/4,81/5,81/6/81/2 और की की व्यसरा चम्चर 1077, 1078, 1079, 1092, 1093 भाग कुवारा में 11.0617 (वन भूभि) है उम्त लिखन के वालीभारी में वम्म कुवारा में अमुक्य चित्र जनकागति और अन्म कुवारा में अमुक्य चित्र जनकागति और अन्म कुवारा में अमुक्य चित्र जनकागति और अन्म कुवारा से समुह 84न

TO THE HELDER STORES

HA

विभाला

अंका कार्मवाही विषर्श ग्राम था। - 02-10-2022, असारा में निवास नहीं करते हि उसते लाइन के लीए असारानि प्रमाण एउं नारी कारने के लीए उपाहिंग ते कीरम ने विचार विभिश्न किमा तथा 765 K.N. 20/2 स्तीकार - अलीगढ़ पारे पण लाईन निकालने हिंदु (F.RA) असापनी प्रमाण एउं मारी करने का निर्णाय सर्व सामाती

प्रस्ताव सेन्वमा 04 :- जमाम पैचामार भीता शुचारा में अनेटा श्वनत कार्य की क्लांबी वाखर। विर्वाम!- भाम पंचायत क्यांश की वार्ड पंचा अने मुलचा होनी के अध्यमहा महीदभा एवं उपाध्यत कीरम की आकात मर्थमा कि माम पंचामत अनेन में न्यारागाह न्यारा में न्यारी हीपे अवेध यवन कार्म कीमा जा वहा छेजों की लियाम विस्तृत है द्वेष अवेश स्वन्त के कारण अगाम पंचमा व स्वनत् विभाग की वाह्य वडी हानी हो रही है तथा। धाला ही ग्राम पंचामत कीना में पश्चाम व जाम छाएभीभी की हमेशा बवतरा यहता है अगर समय उअत्यार ईम सम्मा नहीं खल्मवाया अया तरे अवंध युन्त नाम की ही सकती है अग्राइध वडी आसरी या छ। १४१ की अस्तिक है। येवभगामा अनि उनि उपरिन्त्र कीश्म सर्व सम्भती अतिशिष्ट ही उन्य न्यान्य कारियो की अवगत क्षेत्रगाकर है। अवेदा २वन्न लाय का रिकार्थिय अविश्वास्त्री की भारत FAHT 51217

STATE OF THE STREET STREET

## कार्यालय पंचायत समिति पावटा, जिला-जयपुर(राज.)

क्रमांक:- पंसपा/पंचा.शा/2022/2935-3}-

दिनांक:- 27/09/2022

सरंपच / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बुचारा एवं जोधपुरा

विषय:— अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत 11.2828 हेक्टेयर वन भूमि में हेतु विशेष ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने बाबत। प्रसंग:— राजस्व / 2022 / 1405 दिनांक 04.08.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के सदर्भ में लेख है कि पावरिग्रेड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड सीकर से अलीगढ़ 765 के.वी. डबल सर्किट पारेषण लाईन टावर संख्या (81/3,81/4, 81/5, 81/6) जो कि खसरा 1077 1078, 1079,1092 1093 ग्राम बुचारा में 11.0617 है.(वन भूमि)। में एवं टावर संख्या (101/0, 102/0, 103/0, 104/0) जो खसरा संख्या 1190/6, 1189/6, 22, 1205/42, 1204/41 ग्राम किराड़ोद, में 0.2212 है0(वन भूमि) में है, कुल 11.2828 है0 वन भूमि में है, उक्त लाईन के गलियारें में आने वाले ग्राम बुचारा एवं किराड़ोद में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता), अधिनियम 2006 के तहत विशेष ग्राम सभा का आयोजन किये जाने हेतु निर्देशित किया है। अतः आगामी 02 अक्टूबर 2022 को होने वाली ग्राम सभा में उक्त से संबंधी नियमानुसार प्रस्ताव लेकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विकास अधिकारी पं.स. पावटा(जयपुर) दिनांक:- 23/09/ 2022

क्रमांक:- पंसपा/पंचा.शा/2022/ 2-935-37 प्रतिलिपि:-

- 01. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, पावटा।
- 02. रक्षित पत्रावली।

विकास अधिकारी पं.स. पावटा(जयपुर)



# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर (राज.)

क्मांक/राजस्व/2022/1 ५०५

दिनांक:- 04.08.22

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पावटान

विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत 11.2828 हेक्टेयर वन भूमि में हेतु विशेष ग्राम सभा की वैठक आयोजित करने वावत।

प्रसंग:- श्रीमान अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी महोदय(गाडा), जिला परिषदं जयपुर के पत्रांक जिपज / माडा / वन / 2022-23 / 161-164 दिनांक 27.07.22 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड सीकर से अलीगढ़ 765 के0वी0 डबल सिकंट पारेषण लाईन टावर संख्या(81/3, 81/4, 81/5, 81/6) जो कि खसरा संख्या 1077, 1078, 1079, 1092, 1093 ग्राम बुचारा में 11.0617 है0(वन भूमि) में एवं टावर संख्या(101/0, 102/0, 103/0, 104/0) जो खसरा संख्या 1190/6, 1189/6, 22, 1205/42, 1204/41 ग्राम किराड़ोद में 0.2212 है0 (वन भूमि) में है, कुल 11.2828 है0 वन भूमि में है, उक्त लाईन के गिलयारें में आने वाले दो ग्राम बुचारा एवं किराड़ोद में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारी की मान्यता), अधिनियम 2006 के तहत विशेष ग्राम सभा का आयोजन करवाकर नियमानुसार कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को पालना रिपोर्ट मिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्न-एण्रोक्तानुसार।

उपस्थास्य प्राचित्रहाँ । प्राचित्रहाँ जिस्सार्थि

SDM OFFICE PAOTA, Email- sdo.paota.jpr@gmat.com, Add-Oppsite to JN Vidhaylay, Paota, 303106

राजस्थान सरकार

# कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),

जिला परिषद जयपुर

E-Mail Id:- madajaipur@gmail.com

Ph. 0141-2207970

क्रमांक : जिपज / माडा / वन / 2022-23 / | ६ | 🕝 |

दिनांक:- 27-07-202

-उपखण्ड अधिकारी, पावटा, जिला जयपर।

> विषय: अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 के अन्तर्गत Forest Land 11.2828 ha. Diversion Proposal no. FP/RJ/TRANS/144853/2021 For Construction of 765 KV D/C Sikar-II - Aligarh Transmission Line, District- Sikar, Jaipur and Alwar (Raj.)

> सन्दर्गः- वरिष्ठ महाप्रबंधक, पावरग्रिङ, जिला अलवर के पत्र क्रमांक NR1/SATL/TW01/ PALWAL/ENVIRONMENT/दिनांक 23.06.2022

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ अन्तर्गत Construction of 765 KV D/C Sikar-II – Aligarh Transmission Line, District- Sikar, Jaipur and Alwar (Raj.) के लिए जयपुर जिलें में निम्नानुसार आवश्यक कुल 11.2828 हेक्टेयर वनगूमि का अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 अन्तर्गत व्यपवर्तन (Diversion) प्रमाण पत्र जारी करने हेतु Proposal no. FP/RJ/TRANS/144853/2021 प्राप्त हुआ

क्र.स.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	आवश्यक वनभूमि क्षेत्रफल
1	पावटा	Buchara	, 1077	7.5509
26	पावटा	Buchara	1078	0.3216
3	पावटा	Buchara	1079	2.2914
4	पावटा	Buchara	1092	0.0268
5	पावटा	Buchara	1093	0.8710
6	पावटा	Kirarodh	11.90/6	0.0067
7	पावटा	Kirarodh	1189/6	0.0034
8	पावटा	Kirarodh	22	0.1005
9	पावदा	Kirarodh	1205/42	0.0972
10	पावटा	Kirarodh	1204/41	0.0134

प्राप्त प्रस्ताव मूल ही संलग्न कर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संसोधित नियम 2012 के अन्तर्गत निर्धारित प्रकिया अनुसार समिति की चर्चा एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। अतः उक्त प्रस्ताव पर नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्यवाही कर दस्तावेजों एवं कार्यवाही विवरण अग्रिम कार्यवाही हेत् इस कार्यालय को गिजवाने का श्रम करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

श्रीमान् जिला कलक्टर, जिला जयपुर। मुख्यात्रीय वरिष्ठ महाप्रबंधक, पावरिक रिक्ट क्रमांक : जिपज / नाडा / वन / 2022-23,

2. वरिष्ठ महाप्रबंधक, पावरग्रिड, जिला अलवर।

रक्षित पत्रावली।

(भी कलावा चन भेजी) ( वार्चे. अहायक) (क्रमंद्र) ते 10)

(स्मन-देवी) R.A.S. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा) जिला परिषद जयपुर दिनांक:- 2.7 - 07 - 2.7

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा) जिला परिषद जयपुर





POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (i)

Full title of the Project: Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

#### वन भूमि की विधिक परिस्थिति के अनुपालन का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के तहत राजस्थान के अलवर ,सीकर और जयपुर संभाग में प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan

Designation:



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B(ii)

Full title of the Project:" Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

#### **Undertaking**

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-11-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के तहत राजस्थान के अलवर ,सीकर और जयपुर संभाग में प्रतिपूर्ति वनीकरण स्वीकृत भूमि पर ही किया जाएगा । इसके लिए वन विभाग को प्रतिपूर्ति वनीकरण की राशि उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा CAMPA Fund में UTR No. SBIN123241577797, Dated -29.08.2023 के द्वारा जमा करा दी गई है।

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी Kanchan Kumar Choudhary

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Ra wanid Alignin Rekar Deff (1919) पावरप्रिक अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि॰ (100% Subsidiary of POWERGRID) अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (iii)

Full title of the Project: Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited ( A 100% owned subsidiary of

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

PGCIL)

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

#### **Undertaking**

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी की कीमत पर प्रतिपूरक वनीकरण अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा, प्रतिपूरक वनीकरण शर्त क्रमांक बी(3) में दर्ज स्थानों और क्षेत्रफल के अनुरूप होगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का मिश्रण लगाया जाएगा और किसी भी प्रजाति का मोनो-कल्चर नहीं किया जाएगा। वृक्षारोपण के लिए धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा CAMPA Fund में UTR No. SBIN123241577797, Dated -29.08.2023 के द्वारा जमा करा दी गई है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी Kanchan Kumar Choudhary इस महाप्रबंधक/Chief General Manager

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katvarus ar <del>अलावा अलावा द्वाराणिक लिल</del> (100% Subsidiary of POWERGRID) अलवर राजस्थान/Alwar, Rajasthan



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure-B (iv)

Full title of the Project: Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited ( A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

#### Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के तहत राजस्थान के अलवर ,सीकर और जयपुर संभाग में काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या,शर्त क्रमांक बी(4) में दर्ज की गई संख्या 1917 से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुक्सान नहीं पहुचाया जाएगा। पेड़ों की पातन हेतु आवश्यक धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा राज्य वन विभाग को जमा किया जाएगा। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Kat**warian an Area (Katwarian) (Manager Powergrid Aligam Sikar Transmission Ltd.** पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि॰ (100% Subsidiary of POWERGRID)

अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (v)

Full title of the Project: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of

765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरिग्रेड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के तहत कार्य के दौरान वन क्षेत्र और वन्य जीवों को किसी तरह का नुक्सान नहीं पहुचाया जाएगा। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary
मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि॰
(100% Subsidiary of POWERGRID)
अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (vi)

Full title of the Project: Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II

Aligarh Transmission Limited ( A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

#### Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के तहत कार्य के दौरान उपयोगकर्ता एजेंसी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ,1986 के दिशानिर्देशों ,यदि कोई मान्य हो, का पालन करेगी। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katuaria Barai, Chie Delinita Manager

Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd. पावरग्रिङ अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि॰ (100% Subsidiary of POWERGRID) अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (vii)

Full title of the Project: Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited ( A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

#### **Undertaking**

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के तहत कार्य के दौरान केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमित के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा । उपयोगकर्ता एजेंसी इस आश्रय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016 कंचन कुमार वाघरा

Kanchan Kumar Choudhary मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd. पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि॰ (100% Subsidiary of POWERGRID) अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (viii)

Full title of the Project: Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

#### Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरिग्रड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के तहत कार्य के दौरान किसी भी तरह का लेबर कैम्प/ श्रीमक शिविर नहीं निर्मित किया जाएगा । उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी Kanchan Kumar Choudhary मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd. पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिं० (100% Subsidiary of POWERGRID)

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Saran Awst Rej 200 85



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (ix)

Full title of the Project: Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of

765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of

PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

#### Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के तहत कार्य के दौरान राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य वैधानिक स्रोत से खरीदने के बाद उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा श्रिमकों को पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, (अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन) प्रदान किया जाएगा। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कचन कुमार चौधरी Kanchan Kumar Choudhary मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd. पावरग्रिङ अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि॰

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarah Berry Allari, Rajasthan



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B(x)

Full title of the Project: Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

#### **Undertaking**

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के तहत कार्य के दौरान संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार, परियोजना लागत पर, डाइवर्टेड वन भूमि को सीमांकित किया जाएगा, मान्य है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

फंचन कुमार चौधरी
Kanchan Kumar Choudhary
मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager
Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.
पावरग्रिङ अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि०
(100% Subsidiary of POWERGRID)
अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (xi)

Full title of the Project: Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

#### Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण परियोजना कार्य के निष्पादन के दौरान निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016

कंचन कुमार चौधरी Kanchan Kumar Choudhary मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd. पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि॰ (100% Subsidiary of POWERGRID) अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited) (A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (xii)

Full title of the Project: "Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited ( A 100% owned subsidiary of

PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

### Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के तहत कार्य के दौरान प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katuaria Superior Aliganis

पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लि० (100% Subsidiary of POWERGRID)

अनुनर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (xiii)

Full title of the Project:"

Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

#### **Undertaking**

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के तहत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमित के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा । उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature: Designation:

कंचन कुमार चौधरी Kanchan Kumar Choudhary मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager

Powergrid Allgam Sikar Transmission Lt Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katभुभूता के व्यक्ति भेट्ट प्रियोग्धि विलि (100% Subsidiary of POWERGRID) अलवर, राजरान/Allear, Rajasthan



**POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED** 

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B(xiv)

Full title of the Project:"

Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

#### Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता एजेंसी स्टेज (I) के शर्तों के संबंध में वार्षिक स्व-अनुपालन रिपोर्ट हर साल मार्च के अंत तक राज्य सरकार को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में प्रस्तुत करेगी। उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी Kanchan Kumar Choudhary मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd. पावरग्रिङ अलीमक सीकर हांसमिशन लिङ

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Kat**v/ar@% Autis Ntery** Definition (Alwar, Rajasthan



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B(xv)

Full title of the Project:"

Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

### **Undertaking**

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-॥-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता एजेंसी नियमों ,अधिनियमों, शर्तों और माननीय न्यायलयों एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा जारी उन सभी दिशानिर्देश/आदेशों का पालन करेगी जो इस परियोजना से सम्बद्ध हो । उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी Kanchan Kumar Choudhary मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager Powergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Subsidiary of POWERGRID)



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited) (A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (xvi)

Full title of the Project:"

Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited ( A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

## **Undertaking**

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-11-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण योजना के अंतर्गत किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम (1980) का उल्लंघन होगा । जिसमें MoEF& CC Guideline F.No.11-42/2017 -FC dt.29/01/2018 के अनुसार कारवाई होगी । उपयोगकर्ता एजेंसी इन नियमों का पूर्ण पालना करेगी।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

कंचन कुमार चौधरी

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria

पावरप्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लि० (100% Subsidiary of POWERGRID)

अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited) (A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (xvii)

Full title of the Project:"

Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited ( A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area:- 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

#### Undertaking

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-11-अलीगढ़ ट्रांसिमशन लाइन निर्माण योजना के अंतर्गत कोई अन्य शर्त जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वनों और वन्यजीवों के संरक्षण और विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित कर सकता है, के पालना को सुनिश्चित करेगी । उपयोगकर्ता एजेंसी इस आशय हेतु वचनबद्ध है।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation

कंचन कुमार चौधरी Kanchan Kumar Choudhary मुख्य महाप्रबंधक/Chief General Manager ergrid Aligarh Sikar Transmission Ltd.

Registered office: B-9 Qutub Institutional Area, Katwaria आविशेष के प्राप्त हैं स्थान है। स्थान हिल्ल (100% Subsidiary of POWERGRID)

अलवर, राजस्थान/Alwar, Rajasthan



POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)

(A Govt. of India Enterprises)

Plot No.-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan)-301001

Annexure- B (xviii)

Full title of the Project:"

Diversion of 15.8321 ha. of Protected forest land for Construction of 765 KV D/C Sikar -II- Aligarh Transmission Line in (Rajasthan), in Rajasthan Portion AP-01 to AP-183 Common Point Rajasthan-Haryana State Boundary. Total Route length 180.946km in District Alwar, Sikar and Jaipur of Rajasthan in Favor of Sikar -II Aligarh Transmission Limited (A 100% owned subsidiary of PGCIL)

Proposal No.

: FP/RJ/TRANS/144853/2021

Diversion Area: - 15.8321Ha. (Alwar - 4.3215 ha., Jaipur - 11.2828 ha. and Sikar - 0.2278 ha.)

#### **Undertaking**

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेड के द्वारा वचन दिया जाता है कि शर्त संख्या 18 (Part-B) की पालना में यूजर ऐजेन्सी द्वारा सभी शर्तो की पूर्ति कर पालना रिपोर्ट को ई—पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड़ कर दिया जायेगा।

Name:

Office Seal & Signature:

Designation KAHARTHAN

Alway DC



राजस्थान सरकार वन विभाग

# कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरावफुले सर्किल, नयांबास, अलवर (राज0) - 301001

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक : एफ18( )एफ.सी.ए./उवसं-अल./2023/696

दिनांक : 20 07 2023

निमित्त.

श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महाप्रबंधक, सीकर—II अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड, अलवर।

विषय:— वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 : FP/RJ/TRANS/144853/2021 में आपके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 FP/RJ/TRANS/144853/2021 में आप प्रयोक्ता एजेन्सी नामित हैं। इस प्रस्ताव के प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है परन्तु हाल ही में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आया है कि नियत प्रक्रिया से पूर्व ही आपके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करते हुए वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य सम्पादित किया गया है। इसके संबंध में तथ्यात्मक बिन्दु निम्नानुसार है:—

- आपके द्वारा प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 FP/RJ/TRANS/144853/2021 दिनांक 03.09.2021 को परिवेश पोर्टल के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन हेतु अलवर वन मण्डल अधीन 4.3215 हैक्टेयर वन क्षेत्र आता है।
- उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 09.10.2022 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट पार्ट—।। में संलग्न है।
- 3. दिनांक 14.06.2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पुनः मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस प्रस्ताव में सम्मिलित गोठडा वनखण्ड रेंज किशनगढबास में प्रस्तावित प्रत्यावर्तन वन भूमि 0.15 हैक्टेयर के ऊपर गैर वानिकी कार्य ट्रांसिमशन लाईन के तार खींच लिये पाये गये।
- 4. इस उल्लंघन के संज्ञान में आते ही अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आपको सूचित किया गया, जिस पर आपके द्वारा आपके प्रतिनिधि श्री बजरंग चौधरी, प्रबंधक को मौके पर भेजा गया। जहाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष मौके पर आपके प्रतिनिधि द्वारा उल्लंघन होना स्वीकार किया गया।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त उल्लंघन के संबंध में अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में इस कार्यालय को 07 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिसमें यह स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जारी की गई मार्गदर्शिका 2019 के पैरा सं0 1.21 के तहत कार्यवाही की जाये? यदि आपके द्वारा समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में ले ली जावेगी।

(ए० के० श्रीवास्तव) उप वन सरंक्षक, अलवर

दिनांक :

क्रमांक : एफ18()एफ.सी.ए./उवसं—अल./2023/ प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- श्रीमान् अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफ०सी०ए०, राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर।
- 2. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।

उप वन्/ स्रेरंक्षक, अलवर



# POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED (A Wholly Owned Subsidiary of POWERGRID) Plot No- 339, Shanti-Kunj Scheme, Alwar- 301001

दिनांक: 03 .08.2023

संदर्भ: पीजी/एनआर-1/अलवर/वन डायवर्जन-सेवा में , उप वन संरक्षक महोदय, वन भंडल, अलवर (राजस्थान)-301001

विषय: "765 केवी डी/सी सीकर -II-अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन, जिला - सीकर, जयपुर और अलवर (राजस्थान) के राजस्थान भाग एपी-01 से एपी-183 कॉमन प्वाइंट (राजस्थान) के निर्माण के लिए 15.6043 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के संबंध में।

प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/TRANS/144853/2021

प्रस्ताव की तिथि: 26-07-2021

डायवर्जन क्षेत्र: 15.8321 हेक्टेयरा (अलवर वन प्रभाग क्षेत्र- 4.3215 हेक्टेयर) संदर्भ: एफ 18 /एफ.सी.ए. /उवसं-अल./2023/696 दिनाक:20.07.2023

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्रांक एफ18/एफ.सी.ई./उवसं-अल./2023/696 दिनांक:20.07.2023 के सन्दर्भ में हम अवगत कराना चाहेंगे कि

- 1. पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक उपक्रम है, जो भारत के सभी राज्यों में फैले अपने नेटवर्क के साथ अंतर-राज्यीय ट्रांसिमेशन सिस्टम के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसिमेशन लिमिटेड (PASTL), पावरग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी है, जिसे पूर्व में सीकर-II अलीगढ ट्रांसिमेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, द्वारा ट्रांसिमेशन लाइन पैकेज TW02 के अंतर्गत सीकर-II अलीगढ 765kV D/C पारेषण लाइन के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। उक्त लाइन ट्रांसिमेशन परियोजना चरण II -भाग-डी के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा से उत्पन्न 8.1 गीगावॉट बिजली के निकासी हेतु प्रस्तावित है,जिससे राजस्थान सहित उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को लाथ होगा।
- 2. उक्त ट्रांसिमशन लाइन तीन (03) राज्यों (राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश) से होकर गुजर रही है। राजस्थान में उक्त लाइन सीकर, जयपुर और अलबर जिलों से होकर गुजर रही है, जिसमें अलबर जिले में गोठरा (0.1541 हेक्टेयर) और निमली (4.16 हेक्टेयर) वन क्षेत्र शामिल हैं।तदनुसार, राजस्थान राज्य की यन भूमि डायवर्जन का प्रस्ताव पावरग्रिड द्वारा दिनांक 26.07.2021 को जमा कर दिया गया था। (प्रस्ताव संख्या एफपी/आरजे/ट्रांस/144853/2021)
- 3. पावरग्रिङ द्वारा इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सहित समस्त परियोजना निर्माण कार्य टर्नकी एजेंसी के रूप में मेसर्स कल्पतर पावर ट्रांसिमशन लिमिटेड (मेसर्स केपीटीएल), गांधीनगर को खींपा गया है। तदनुसार, मेसर्स केपीटीएल, ट्रांसिमशन लाइन का फाउंडेशन, इरेक्शन और स्ट्रिंगिंग का कार्य निष्पादित कर रहा है। संविदा अनुसार मेसर्स केपीटीएल को कार्यों के निष्पादन के दौरान सभी वैधानिक मानदंडों का पालन करना है।
- 4. उक्त लाइन अलवर जिले में वन भूमि ( 4.3141 हेक्टेयर) के 2 स्थानों से गुजर रही है। निष्पादन एजेंसी (मेसर्स केपीटीएल) ने वन क्षेत्र को छोड़कर अलवर जिले में फाउर्डेशन, इरेक्शन और स्ट्रिंगिंग का समस्त कार्य पूरा कर लिया है। चुिक वर्तमान में परियोजना कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, अतः संविदा अनुसार परियोजना के अतर्गत समस्त दायित्व निष्पादन एजेंसी (मेसर्स केपीटीएल) के ही अधीन है और PASTL ने अभी तक परियोजना कार्य को अपने क्षेत्राधिकार में नहीं लिया है। मेसर्स केपीटीएल परियोजना के टीएल कार्य को संविदा के समस्त शर्तों के अनुरूप पूरा करने पश्चात ही PASTL (पीएएसटीएल) को सींपेगा।

3-8.2023

पंजीकृत कार्यालय: एससीओ वे नंबर 05 से 10, सेक्टर- 16ए, फ़रीदाबाद, हरियाणा - 121002

कंचन कुमार कोवरी मुख्य महाप्रबंधक पार्व अलवर



# POWERGRID ALIGARH SIKAR TRANSMISSION LIMITED (A Wholly Owned Subsidiary of POWERGRID)

Plot No- 339, Shanti-Kunj Scheme, Alwar- 301001

- 5. पावर ग्रिड द्वारों मेसर्स केपीटीएल को अलबर जिले में पड़ने वाले उक्त वन क्षेत्र से गुजरने वाली वन भूमि का ब्योरा दे दिया गया था और उक्त वन भूमि के डायवर्जन से सम्बद्ध प्रस्ताव की यथास्थिति की स्पष्ट जानकारी दी गई थी। उक्त वन भूमि के डायवर्जन से सम्बद्ध प्रस्ताव के अनुमोदन के बिना मेसर्स केपीटीएल को वन क्षेत्र में किसी भी तरह के परियोजना कार्य नहीं करने का निर्देश भी दिया गया था। कुछ दिन पहले यह ज्ञात हुआ है कि निष्पादन एजेंसी ( मेसर्स केपीटीएल) ने गोठरा डिवीजन में वन भूमि (0.1541 हेक्टेयर) पर स्ट्रिंगिंग का कार्य किया है। निष्पादन एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगने पर जवाब दिया कि वन भूमि पर कोई भी टावर फाउंडेशन या इरेक्शन का कार्य नहीं किया गया है। हालांकि टावर संख्या 164/1 से 165/0 के मध्य स्थित उक्त वन भूमि के एक कोने के 18 मीटर ऊपर से लाइन का एक फेज कन्डक्टर गुजर गया है। आगे उनका कहना है कि मेसर्स केपीटीएल के स्ट्रिंगिंग गैंग/साइट इंजीनियर के द्वारा अनजाने में ही उक्त वन भूमि के ऊपर से स्ट्रिंगिंग करवा दिया गया क्योंकि जमीन पर वन विभाग का सीमांकन/साइन बोर्ड के अभाव में उन्हें इस बात की पूरी जानकारी नहीं हो पाई थी कि उक्त भूमि के टुकड़े का वह हिस्सा वन विभाग का है(मेसर्स केपीटीएल का पत्र संलग्न)।
- 6. मेसर्स केपीटीएल (निष्पादन एजेंसी) ने स्वीकारा कि वन भूमि पर स्ट्रिगिंग कार्य नहीं किया जाना चाहिए था, यह पूरी तरह से अनजाने में हुआ है। साइट की वस्तुगत स्थिति को देखते हुए उक्त कार्य इसलिए भी किया गया तािक वन भूमि के बाहर खड़े विद्युत टावर और तारों के भार को स्थायित्व मिल सकें। क्योंकि उक्त बन भूमि खंड के कारण यदि कन्डक्टर के एक फेज को नीचे रखना पड़ता तो यह तकनीकी रूप से ही नहीं अपितु सुरक्षा के दृष्टि से भी अति चुनौतीपूर्ण होता। इसके अलावा, कन्डक्टर चोरी को रोकने और मानव जीवन और संपदा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्य को किया गया। क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कई निम्न और मध्यम वोल्टेज की विद्युत वितरण लाइनें गुजर रही हैं , ऐसे में स्ट्रिगिंग को किसी अस्थाई व्यवस्था या तरीके से अधूरे रोकना तकनीकी और सुरक्षात्मक दृष्टि से उपयुक्त नहीं था।पुनश्च, उक्त वन भूमि पर कोई भी भौतिक निर्माण कार्य नहीं किया गया है और वन भूमि पर किसी भी पेड़ को नहीं काटा गया है या कोई भी अन्य नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। यह कार्य वन भूमि पर किसी भी भौतिक अतिक्रमण के बिना संभावित दुर्घटनाओ से बचने के लिए किया गया है।
- 7. PASTL ने परियोजना निष्पादन एजेंसी ( मैसर्स केपीटीएल) के इस कृत्य को काफी गंभीरता से लिया है। पावरग्रिङ अलीगढ़ सीकर ट्रांसिमशन लिमिटेङ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के सभी प्रावधानों का पालन करेगा और अधिनियम के अनुसार लगाए गए दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान भी करेगा। साथ ही, वन विभाग द्वारा अध्यारोपित सभी विधिक शर्तों और लागतों (भारत सरकार/राजस्थान सरकार) की पालना की जायेगी।
- 8. यह विदित हो कि अलवर जिला में गोठरा डिवीजन के तहत उल्लंघन की गई वन भूमि (0.15 हेक्टेयर) PASTL द्वारा प्रस्तुत वन प्रस्ताव का एक हिस्सा है और जिसकी मंजूरी आईआरओ, जयपुर कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। साथ ही 14.06.2023 को आईआरओ(IRO), जयपुर में आयोजित 10 वीं आरईसी(REC) बैठक के माध्यम से, उक्त प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम के पैरा 1.21(ii) के अनुसार दंडात्मक एनपीवी(NPV) के साथ अनुशंसित किया गया है।
- े निवेदनार्थ कहना है कि यह कार्य निष्पादन एजेंसी(Executing Agency) द्वारा अज्ञातवश कर दिया गया है अतः विनम्न अनुरोध है कि राष्ट्रीय महत्व के इस परियोजना के निर्माण के दौरान उत्पन्न हुई उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंधन के आंरोपों से मुक्त करने की कृपा की जाए।

सादर धन्यवाद और आभार

भवदीय

. .

कंचन कुमार चौधरी

परियोजना प्रमुख, PASTL

प्रतिलिपि: कार्यपालक निदेशक,पावरग्रिड,उत्तरी क्षेत्र-I

O'STAN STREET STREET

कंचन कुमार चीपरी Kanchan Kumar Choudhary इस न्याजनाम्(Chief General Manager अक्टाप्रांच Aligarh Siter Transmission Lid अक्टाप्रांच Aligarh Siter Transmission Lid

पंजीकृत कार्यालय: एससीओ वे नंबर 05 से 10, सेक्टर- 16ए, फ़रीदाबाद, हरिश्री 100% Subsidiary of POWERGHERS



#### भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**

#### पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional office, Gandhinagai (Sub Regional Office, Jaipur)



ए वींग- 407 एवं 409, "अरण्य भवन", सी.एच.-3 सर्किल के समीप, सेक्टर-10ए, गांधीनगर-382010/ A wing-407& 409, "ARANYA BHAWAN", Near CH-3 Circle, Sector-10A, Gandhi Nagar-382010 Email: iro.gandhingr-mefcc@gov.in

दिनांक : 10 अगस्त, 2023

संवा में शासन सचिव (वन). सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन, जयपुर, राजस्थान।

#### (Online Proposal No: FP/RJ/TRANS/144853/2021)

विषय: Diversion of 15.8321 ha of Protected Forest land for construction of 765KV D/C Sikar-II – Aligarh Transmission line, in Rajasthan Portion Ap-01 to Ap-183 Common Point - Rajasthan- Haryana State Boundary, Total Route Length 180,946 km in District-Alwar, Sikar, and Jalpur of Rajasthan in favour of SiKAR-II ALIGARH TRANSMISSION LIMITED (A 100% WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PGCIL), Alwar, Rajasthan,

सन्दर्भ : शासन समिव, राजस्थान का पत्रांक – प. 1 (25) वन / 2023 , जयपुर , दिनांक – 03.04.2023 महोदय.

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र क आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की घार (2) के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रकरण के परिक्षणीपरांत केन्द्र सरकार उपरोक्त विसयांकित परियोजना हेतु 15.8321 है. वनमूमि के प्रत्यावर्तन एवं 1917 वृक्षों के पाटन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शतौं पर प्रदान करती हैं :-

- A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:
- 1. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
- The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 15.8321 ha, forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2088 and 9/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 3/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 5/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in the regard.
- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The user Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
- The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.
- 6. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.
- B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in from of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:
- Legal status of forest land shall remain unchanged.
- Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.
- 3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided. Details of compensatory afforestation is as below

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Survey/ Comptt. No.	Area (ha)
1	Alwar	Behrod	Khapariya	01	17.00
2	Jaipur	Kotputli	Buchera	07	32.50
3	Sikar	Dantaramgarh	Palsana	2293	1.00
				Total	50.50

- User agency shall restrict the felling of trees to 1917 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
- No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
- User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- No labour camp shall be established on the forest land.
- 9. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
- 10. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- 11. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 12. The forest land shall not be used for any purpose other than this specified in the project proposal.
- 13. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India
- 14. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.
- 15. The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
- 16. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11 42/2017-FC di 29/01/2018.
- 17. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- 18. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for Final/Stage-II approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to IRO, Jaipur. Transfer of forest land shall not be effected till Final/Stage-II approval is granted by the Central Government in this regard.

Further, it may also be noted that this In-principle / Stage-I approval shall be valid for a period of 5 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after five (05) years.

भवदीय/Sincerely

श्रवण कुमार वर्गा/Shrawan Kumar Verma क्षेत्रीय अधिकारी/Regional Officer क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar

कंचन कुमार बीधरी/K.K.Chaudhary जुन्य मह प्रयंचक / Chief GeneralManager पायर ग्रिड जलीगढ़ सीकर ट्रासमिशन शिठ Rower Grid Aligach Siker Transmission Ltd.

# Sebi hid facts to shield Adani, | SINKERALA | AT SARKARA DEVITEMPLE petitioner claims in top court

not only concealed several facts about previous investigations against the Adami Group but also treaked the regulations to keep the group's regulatory contraventions and price manipulations undetected, one of the petitioners demanding investigations into allegations of stock manipulation and accounting fraud against the Adami Group made by US short-seller Hindenburg Research, has claimed in the Supreme Court. In an affidative filled two days

ciaimed in the Supreme Court.

In an affidavit filed two days
ago, Anamika Jaiswal alleged
that the market regulator did not
apprise the court of an investigaition initiated by the directorate for revenue intelligence (DRI) against the Adani group of com-panies over alleged overvaluation of import of equipment and machinery by various entities of the Adani Group from a UAE-

the Adani Group from a UAF-based subsidiary. In January 2014, DRI sent a letter to the then Sebi chairper-son, UK Sinha, alerting him that there may be stock market manipulation by the Adani group of companies, said Jais-wal's affidavit, adding this letter was also accompanied by a CD containing evidence of siphon-ing of ₹2,325 crove.

Ing of ₹2,523 crore.

According to the petitioner,
Sinha chose to close the investigation instead of acting on DRI's
inputs. It pointed out that Sinha,
who retired as Sebi chairperson
in March 2017, is now a non-executive director of NDTV, which
was acquired by the Adani
Group in 2022.

Group in 2022.
Jaiswal further said that the
Central Bureau of Investigation
(CBI) also had to shut its probe in
the matter after the Maharashtra

DRI INFORMED SERI ABOUT ALLEGED STOCK MARKET MANIPULATION BY THE ADANI GROUP OF COMPANIES IN 2014, SAYS THE

government did not grant sanction for prosecution.

This shocking that SFBI has not disclosed the receipt of the said let-ter (DRI tester) and evidence from the DRI till date before this Hornble Court' stated the afflicial, citing Sebl's previous statements to the court that it started investi-gation against the Adami group notive in Innel 2020. The affled-pontive in Innel 2020. The affledonly in June-July 2020. The affida-vit said that Sebi's conduct amounts to perjury.

Referring to the latest status

report submitted by Sebi in the court earlier this month, Jaiswal said that though the market regulator claimed that 22 out of 24

said that though the marker regulator claimed that 22 out of 24 investigations arising out of the Hindenburg report were final in nature, outcomes of these investigations have been kept under the properties of the properties of

Jaiswal's allegations, but the attempts remained unsuccessful.
To be sure, the committee on To be sure, the committee on corporate governance was constituted by Sebi in 2017 and it has 23 other members, which include bankers, entrepreneurs, chartered accountants, business executives, senior bureaucrats and corporate lawyers.

Jaiswal's affidavial so referred to certain peace properts by interna-

to certain new reports by interna-tional papers that reportedly incriminate the Adani Group for

incriminate the Adani Group for contravening an array of regulations. If further maintained that contravening an array of regulations of the property of the p

## Court stops RSS drills on temple premises THE COURT ASKED THE POLICE TO PROVIDE SUPPORT

Press Trust of India

in Keriah ingh court has said that no mass drill or weapons training shall be permitted on the premises of Sarikara Devi Temple in Thirowanan-thapuram district, which is the Travancore Devaswom Board (TDB). The direction came while disposing of a plea filled by two devotees seeking an order to prevent "illegal use and unauthorised occupancy" of the temple premises by the RSS and its members.

members.
The court directed the police to provide necessary assistance for the strict compliance of an for the strict compliance of an earlier TDB order banning RSS 'shakhas' (branches) and mass drills at the shrines managed by the board.

the board.
"No mass drill or weaponry

IS REFERRED TO AS BHARAT: MAMATA

BHARAT: MAMATA
KOLKATA: West Bengal chief
minister Mamata Banerjee on Monday said she has no objection to the country being called
Bharat. but insisted that the
name India should also stay.
Speaking to reporters a day
of Spain and Dubal to attract
investments to the eastern state,
Banerjee said the Bharatiya Jantata Party (BJP) was trying to
change the name of the country
as the opposition bloc has
named itself INDIA (Indian
National Developmental Incluser Alliance).
Speak Bengali
and Hindi call the nation Bharata. But the name India is mentioned in the first line of the Preamble to the Constitution that
Babasaheb [BR] Ambedkar
drafted... 'the Trinamool Congress (TMC) chief said. 'The
name Bharat is also mentioned
in the Constitution. We have no
lond in the Constitution. We have no

practices shall be permitted on the premises of the said temple... The station house officer of Chi-rayinkeezhu Police Station shall render necessary assistance to the administrative officer to ensure strict compliance of the prohibition..." Justices Anil K Narendran and P G Ajithkumar said in a recent order. issued a fresh circular asking officials to strictly follow its ear-lier order banning RSS 'shakhas' (branches) or mass drills in the shrines under it.

#### NO ISSUE IF INDIA | Officer kills woman for 'insisting' on marriage

DEHRADUN: An army officer has been arrested for allegedly mur-dering a 25-year-old Nepalese bar dancer with whom he was in

dering a 25-year-old Nepalese bar dancer with whom he was in a relationship in Dehradun, police said on Monday.

The accused has been identified as lieutenant colonel Ramendra Upadhyaya (25), a resident of mandrad of Central Colonel Colon

met the woman at a dance bar in West Bengal's Siliguri in January 2020 when he was posted there. The two initially became friends

in a live-in relationship, Dehradun senior superintendent of police (SSP) DS Kunwar said.
"When the accused was transferred to Dehradun, he brought her along Howswiter as the common serior of the state of the said of the s her along. However, as the army officer's wife came to know about the woman, he sent her back to Siliguri," Kunwar said. The accused called her back to Dehradun and rented a flat for

The accused called ner back to Dehmdun and rented a flat for behavior and the control of the con

# Study links lead exposure to cardiovascular deaths

Rhythma Kaul

ietten@hidustatimes.com
NEW DEHI: Deaths due toardiovascular aliments and IQ loss
caused by exposure to lead are
far higher than previously estimated, with poorer nations suffering the most from it, according to an analysis published in
the Lancer Planetary Health
journal on Monday,
IQ loss in low and middle-income countries due to lead expogravias meanly 90%, bloker thos a

sure is nearly 80% higher than a previous estimate, while deaths from cardiovascular disease are six times higher, the study in the peer-reviewed journal found.

The global cost of lead exposure in 2019 was estimated to be \$6 trillion, equivalent to 7% of global GDP. In low- and middle-income nations, it was equivalent to more than 10% of GDP, or twice as high as in wealthy coun-tries, researchers said. Lead exposure contributed to 5.5 million deaths from cardio-

AND MAKE SURE THE ORDER IS BEING FOLLOWED

said in a recent order. The TDB, which manages the temples in Kerala, had on May 18

5.5 million deaths from cardio-vascular disease globally in 2019, or 30% of all such mortality, the analysis estimated. This is more than six times higher than the 2019 estimate of \$50,000 cardiovascular deaths from lead expo-sure. Of the 5.5 million deaths from lead exposure, 90% were in poorer countries. The analysis

LEAD EXPOSURE CONTRIBUTED TO OVER 5.5 MILLION DEATHS FROM CARDIOVASCULAR DISEASE GLOBALLY IN THE YEAR 2019

also suggests that lead exposure caused the loss of 765 million IQ points in children under five years in 2019, with 95% of the losses among children poor nations. During their first five years of life, children in low-and middle-income countries on

average each lose 5.9 IQ points from lead exposure. This can reduce these children's total life-time income by as much as 12%, the authors estimated. "We know that lead exposure

We know that lead exposure has continued to cause huge impacts on human health, despite most countries banning the use of leaded petrol more than 20 years ago. What is concerning about our study is that it indicates these damaging health effects are much greater than we come at a very high economic cost, especially in low- and middle-income countries," lead author Bjorn Larsen, develop-

ment economist, World Bank, said in a statement.
"Efforts to address the impacts of lead exposure must impacts of lead exposure must can tas those posed by PMZ.5 outdoor ambleint and household air pollution," Larsen added. Exposure to lead can seriously harm health of young children, including brain damage, slowed development and learning difficant including the proposite sits of cardiovascular disease, which accounts for almost 95% of deaths linked to lead exposure, as well as chronic skidny disease and learning disabilities.

Serial No.	Survey Number Rect. No. /Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
28 69 min		Gair mumkin Rasta	Private	0.0025
29	226 min	Gair mumkin Rasta	Private	0.0126
30 233 min		Gair mumkin Rasta	Private	0.0177
			TOTAL	0.4981

			IUIAL	0.4981				
Name of District : Nuh								
Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka : Tauru								
Name of the Village : Dingerheri								
1	15//18/1	Chahi	Private	0.0051				
2	16//4/1/2 min	Chahi	Private	0.0025				
3	16//6/1/2	Chahi	Private	0.0025				
4	16//6/2/2	Chahi	Private	0.0556				
5	23//14/1 min	Chahi	Private	0.0025				
			TOTAL	0.0682				

Name	Name of District : Nun						
Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka : Tauru Name of the Village : Sabras							
							1
2	10//9/1 min	Chahi	Private	0.0025			
3	10//12/1 min	Chahi	Private	0.0051			
4	10//13/1/1 min	Aabi	Private	0.1568			
5	10//16 min	Aabi	Private	0.0025			
6	10//25/2/1 min	Aabi	Private	0.0025			
7	13//5/2 min	Chahi	Private	0.0025			
8	14//2/1/1 min	Chahi	Private	0.0025			
9	14//14/2/1 min	Chahi	Private	0.0025			
10	14//14/3 min	Chahi	Private	0.0076			
11	14//16/1 min	Chahi	Private	0.0025			
12	15//20 min	Chahi	Private	0.0025			
13	15//22 min	Chahi	Private	0.0025			
14	21//22/1/1 min	Chahi	Private	0.1568			

14	21//22/1/1 min	Unani	Private	U.1568
15	21//23/1/1 min	Chahi	Private	0.0025
16	21//23/2 min	Chahi	Private	0.0126
17	21//24 min	Chahi	Private	0.0025
18	22//3/2 min	Chahi	Private	0.0051
19	22//3/3 min	Chahi	Private	0.0025
20	22//7 min	Chahi	Private	0.0025
21	22//15/2 min	Chahi	Private	0.0051
22	22//17/1	Chahi	Private	0.0025
23	25//4/3 min	Chahi	Private	0.0025
24	25//4/2 min	Chahi	Private	0.0404
25	25//6/1/1 min	Chahi	Private	0.0025
26	25//6/2/1 min	Chahi	Private	0.0152
27	26//9/1 min	Chahi	Private	0.0025
28	26//9/2 min	Chahi	Private	0.0025
29	26//11/1 min	Chahi	Private	0.0076
30	26//12/1 min	Chahi	Private	0.0051
31	26//13 min	Chahi	Private	0.0177
32	26//14 min	Chahi	Private	0.0025
33	26//16 min	Chahi	Private	0.0025
34	26//17/1 min	Chahi	Private	0.0126
35	26//17/2/1 min	Chahi	Private	0.0253
36	26//17/3/1 mn	Chahi	Private	0.0202
37	26//18/1 min	Chahi	Private	0.0101
20	00//04/4	01.11	D : 4	0.0400

Name of District	: Nuh
Name of Tehsil/S	ub Tehsil/ Taluka : Tauru

79 min

42 81 min

Name of the Village : Kalwari						
1	9//22/2	Chahi	Private	0.0076		
2	13//19/1 min	Chahi	Private	0.0076		
3	14//6/2/1	Chahi	Private	0.0329		
4	14//27/1 min	Chahi	Private	0.0025		
5	23//1/2 min	Aabi	Private	0.0076		
6	24//5/1 min	Aabi	Private	0.0051		
			TOTAL	0.0633		
			Sub Total	10.6391		

Gair mumkin Rasta

Gair mumkin Rasta

[F. No. 8-W/HRIDC/W.Spl/2019]
A. K. SINGHAL, Chief Administrative Officer (C)

0.0202

0.0101



#### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE Life

ए वीग— 407 एवं 409, "अरण्य भवन", सी.एच.—3 सर्किल के समीप, सेक्टर—10ए, गांधीनगर—382010 A wing-407& 409, "ARANYA BHAWAN", Near CH-3 Circle, Sector-10A, Gandhi Nagar-382010 Email: iro.aandhinor-mefcoßgov.in

works achievable for subsequent years.

The Static Commental and charge the Net Present Value (PIPV) for the 15.822 fb., forest area to be diverted under fire the User Approxy as por the orders of the Horthe Suprema Count of India asset 30 (1902)020, 0.01082003, 280(30)0200.

Second 18 (14) 8-108 by PIPC) (14) 2027/864 and as por the guidelines used by the Mintally selbers to S-1 dated 510(9020)03, aveila selbers to S-1 dated 510(9020)03, aveila selbers to S-2008-PC classed 510(2008) and S-2000-PC classed 50(2008) and orientation of Mintall selbers to S-2014-PC-100(14) dated 600 17.02 of the regard.

Addition all amount of the NPV of the eleverated forest text, if any, buscoming due after finalization of the same by the York last School recept of the regard.

Addition all an undertaking to this effect.

The complete complement of the FPA. 2005 shall be resurved by way of prescribed confliciant from the concrete District Collector. The ADM, life of the search the observed and the Called Search and the Called Search Collector. The ADM collector is the collector of the Called Search and the Called Search and

nd shall remain unchanged. ed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the

compensatory and resistant shall be taken up by the Potest Department over all the Cost of the user algency. As an as possible, a mittable or local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided. Details of compensatory afforestation is as below:							
Sr. No.	District	Tehsil	Village	Survey/ Comptt. No.	Area (ha)		
1	Alwar	Behrod	Khapariya	01	17.00		
2	Jaipur	Kotputli	Buchera	07	32.50		
3	Sikar	Dantaramgarh	Palsana	2293	1.00		

No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.

Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.



श्रवण कुमार वमीShrawan Kumar Verm क्षेत्रीय अधिकारी/Regional Office क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinaga





ment No.RVNLCO/HR/ REG(SELN)/10/2023/(22819) Rail Vikas Nigam Limited

One Post of Dy. MGR (PP&D) in RVNL/Corporate Office

On regular basis Last date of receipt of application is

10.10.2023 by 17:00 hrs For details login to website http://www.rvnl.org





Detailed advertisement is available on our websile https://www.hping.in under Careers section. Interested applicants may please visit our vebsile for details w.r. educational qualifications, experience other eligibility criteria and selection procdure etc. Applicants meeting the requisite eligibility criteria may apply online only. Corrigendum, if any will be posted on the website only.

